

(केवल सरकारी प्रयोग हेतु)



वार्षिक
सामान्य प्रशासनिक
रिपोर्ट

2015-2016

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002



वार्षिक
सामान्य प्रशासनिक
रिपोर्ट
2015-2016

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	1
2.	योजना विभाग-स्टाफ स्थिति	1-2
3.	संगठनात्मक ढांचा	2
3.1.	राज्य योजना बोर्ड	2-4
3.2.	मुख्यालय	4
	(I) प्रशासन प्रभाग	5
	(II) योजना प्रारूपण प्रभाग	5-6
	(III) योजना कार्यान्वयन	6-8
	(IV) पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	8-9
	(V) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	10-15
	(VI) जन शक्ति एवं रोजगार प्रभाग	15-16
	(VII) बाह्य सहायता परियोजना/ नवाचार प्रभाग	16-23
	(VIII) कौशल विकास प्रभाग	23-24
	(IX) नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि प्रभाग	24-27
	(X) 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग	27-31
	(XI) रेलवे प्रभाग	31-33
	(XII) मूल्यांकन प्रभाग	33
	(XIII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग	33-34
	(XIV) कम्प्यूटर प्रभाग	34-35
3.3.	जिला कार्यालय	36
4.	सूचना का अधिकार नियम 2005	37-43

1. पृष्ठभूमि एवं परिचय

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथमिकताओं एवं सकल योजना परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों / सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, योजना स्कीमों की नियमित समीक्षा, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विश्लेषण और नाबार्ड से निधि प्राप्त आर.आई.डी.एफ. योजनाओं का कार्यान्वयन आदि कार्य योजना विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। योजना विभाग द्वारा जन-शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा, प्रदेश में रेल विस्तार, इत्यादि का कार्य भी किया जा रहा है।

2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति

क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अध्यक्ष, रोजगार सृजन एवं संसाधन	1	1	0
2.	अध्यक्ष, 20-सूत्रीय कार्यक्रम	1	1	0
3.	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड	1	1	0
4.	सलाहकार (योजना)	1	1	0
5.	संयुक्त निदेशक	1	1	0
6.	उप-निदेशक	6	6	0
7.	अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी	20	19	1
8.	साख योजना अधिकारी	10	10	0
9.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	13	4
10.	सांख्यिकीय सहायक	21	10	11
11.	गणक	6	3	3
12.	सिस्टम एनालिस्ट	1	0	1
13.	प्रोग्रामर	1	1	0
14.	कार्यक्रम योजना अधिकारी	2	2	0
15.	गणक संचालक	1	0	1
16.	निजि सचिव	1	0	1
17.	निजि सहायक	2	2	0
18.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	0
19.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	5	1
20.	आशुटंकक	3	3	0
21.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	11	0	11
22.	अधीक्षक श्रेणी-I	1	1	0
23.	अधीक्षक श्रेणी-II	1	1	0
24.	वरिष्ठ सहायक	17	17	0
25.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0

1.	2.	3.	4.	5.
26.	लिपिक	13	11	2
27.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	0
28.	चालक	5	5	0
29.	चपड़ासी	20	20	0
30.	चौकीदार	1	1	0
31.	फ्राश	1	1	0
32.	जमादार	1	1	0
33.	सफाई कर्मचारी	1	1	0
	कुल	177	141	36

* : राज्य योजना बोर्ड तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों के बारे में सरकार द्वारा उनके मनोनीत होने के समय पर निर्णय लिया जाता है ।

3. संगठनात्मक ढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण निम्न है:-

1. राज्य योजना बोर्ड ।
2. मुख्यालय
3. जिला कार्यालय ।

3.1. राज्य योजना बोर्ड:

सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2013 को किया गया ।

I. राज्य योजना बोर्ड की संरचना:

- (i) अध्यक्ष-माननीय मुख्यमंत्री
- (ii) गैर-सरकारी सदस्य

1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
2. हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) - अलग से अधिसूचित ।
3. किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक-एक प्रतिनिधि - अलग से अधिसूचित ।
4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक - अलग से अधिसूचित ।
5. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी-अलग से अधिसूचित ।

(iii) **सरकारी सदस्य**

1. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रशासनिक सचिव
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

(iv) **पदेन सदस्य (Ex Officio)**

1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला

(v) **सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)**

II. **नियुक्ति की शर्तें:** सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं ।

III. **योजना बोर्ड मुख्यालय:** योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं ।

IV. **योजना बोर्ड के कार्य:**

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन-शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन ।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन ।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके ।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण ।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।
- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव ।
- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण का सुझाव ।

- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ।
- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना ।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विश्लेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना ।
- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण करना ।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डों की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना ।
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यन्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना ।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना ।

वर्ष 2015-16 के लिए मु0 4800.00 करोड़ रु0 के आकार को अनुमोदित किया गया था ।

मुख्यालय:

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :-

1.	सम्बन्धित मंत्री	माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2.	प्रशासनिक सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्प्यूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, रेलवे, 20-सूत्रीय कार्यक्रम तथा आर.आई.डी.एफ. कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक/ उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं । संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं । प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

I. प्रशासन प्रभाग:

संयुक्त निदेशक का पद दिनांक 31 अगस्त, 2012 को पदोन्नति से भरा गया है। संयुक्त निदेशक, (योजना) को विभाग में कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया है। प्रशासन प्रभाग संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है।

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कार्य करता है। प्रभाग के मुख्य कार्य जैसे कि रिक्त पदों का भरना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपत्ति, पीएसी, सीएजी, व अन्य विविध कार्य जो प्रभाग को सौंपे गए हैं, किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए गए हैं।

II. योजना प्रारूपण प्रभाग:

1. राज्य की वार्षिक योजना (2016-17) का प्रारूपीकरण :

वार्षिक योजना (2016-17) के प्रारूपीकरण हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ योजना प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु चर्चा के लिए अक्टूबर, 2015 में शृंखलावार बैठकों का आयोजन किया गया।

वार्षिक योजना (2016-2017) के प्रारूपीकरण हेतु सभी सम्बन्धित विभागों / एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके माध्यम से उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित विस्तृत योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

विभागीय प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात वार्षिक योजना (2016-2017) का आकार 5200 करोड़ रुपये प्रस्तावित कर ड्रॉफ्ट प्रारूप तैयार करके राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 15 फरवरी, 2016 को हुई बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। सैक्टरवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(रु०करोड़ों में)

क्रम संख्या	सैक्टर	वार्षिक योजना (2016-17) का प्रस्तावित परिचय
1.	2.	3.
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	585.71
2.	ग्रामीण विकास	109.67
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	21.00

1.	2.	3.
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	410.25
5.	ऊर्जा	682.70
6.	उद्योग एवं खनन	110.86
7.	संचार एवं परिवहन	979.04
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	17.02
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	212.67
10.	सामाजिक सेवाएं	1991.97
11.	सामान्य सेवाएं	79.11
	कुल	5200.00

III. योजना कार्यान्वयन प्रभाग:

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त, योजना बजट का कार्यान्वयन निम्न ढंग से शुरु होता है:-

1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त ड्राईवरज़न और पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण करता है। आवश्यकता व प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए ही विचलन या पुनर्विनियोजन की अनुमति दी जाती है।
2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिसमें व्यय की संभावनायें कम हों या कोई परियोजना जिसकी चालू वर्ष में क्रियान्वयन की संभावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है।
3. आधिक्य प्रस्तावों को तत्काल निपटाने के लिये विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।
4. इस अवधि में सभी सम्बन्धित विभागों से उनके प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव चिन्हांकित व गैर चिन्हांकित मदों में जांच और परीक्षण के लिये आमंत्रित किये गए। संशोधित परिव्ययों को नीति आयोग, भारत सरकार से निर्धारित समयावधि में अनुमोदित करवाया जाता है।
5. इस अवधि में 413 मामले विभिन्न विभागों से प्रशासनिक विभागों के माध्यम से परामर्श हेतु योजना कार्यान्वयन प्रभाग में प्राप्त हुए, इनका परीक्षण किया गया तथा सक्षम प्राधिकारियों के

पूर्व अनुमोदनोपरान्त प्राप्त करने के उपरान्त उचित परामर्श सम्बन्धित विभागों को दिया गया।

6. बजट के अनुरूप योजना कार्यान्वयन निर्विघ्न करने के लिये सम्पूर्ण वार्षिक योजना को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट से जोड़ा गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना कार्यान्वयन प्रभाग द्वारा इस अवधि के दौरान निम्न गतिविधियां भी की गई :-

1. त्रैमासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट/त्रैमासिक समीक्षा बैठकें

इस प्रभाग को विकास के विभिन्न मद्दों के तहत हासिल की गई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुश्रवण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

योजना व्यय के लिये निम्न मापदंडों को निर्धारित किया गया है :-

तिमाही	योजना व्यय (%)
प्रथम	20%
द्वितीय	25%
तृतीय	30%
चतुर्थ	25%
योग	100%

2. बजट आश्वासन

वर्ष 2015-16 के बजट आश्वासनों के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 9 जून, 2015 और 18 नवम्बर, 2015 को बैठकों का आयोजन किया गया। विभागों से सम्बन्धित बजट आश्वासनों की सूचना एकत्रित की गई तथा इसका संकलन किया गया।

3. भारत सरकार के साथ लम्बित मामले

‘भारत सरकार के साथ लम्बित मामले’ आवश्यक मुद्दों/मामलों का संकलन है जो भारत सरकार के साथ लम्बित पड़े थे। कैबिनेट सचिवालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रमुख मामलों को अपलोड किया गया है जिनकी ई-समीक्षा के माध्यम से निरन्तर समीक्षा की गई है।

4. केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का प्रदेश की आर्थिकी में विशेष स्थान है क्योंकि यह प्रदेश के स्रोतों का अनुपूरण करती हैं। वर्तमान में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें या तो शत प्रतिशत या केन्द्र और राज्य में विभिन्न अनुपातों में चल रही हैं। इस प्रभाग ने कार्यान्वयन विभागों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वित्तीय निहितार्थ और समकक्ष योजना में राज्य प्रावधानों पर परामर्श दिये हैं।

5. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

स्वतन्त्र एजैन्सियों द्वारा एच.डी.बी.आई. परियोजना की कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार चार अध्ययनों पर कार्य किया गया:-

1. हिमाचल प्रदेश में हरित विकास एवं समावेश हेतु मानव विकास अध्ययन ।
2. 0-6 वर्ष आयु समुह के गिरते लिंग अनुपात के कारणों पर अध्ययन ।
3. हिमाचल प्रदेश में मानव विकास पर वित्तीय रिपोर्ट कार्ड ।
4. हिमाचल प्रदेश में गुज्जरी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आकलन हेतु अध्ययन ।

कार्य योजना के अनुसार चार अन्य अध्ययनों के टी. ओ. आर. का सैट तैयार किया जा रहा है।

IV. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना प्रभाग:

प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना शुरू की गई है । प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति 1995-96 से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना से सम्बन्धित नीति में सरकार के निर्णयानुसार समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं । नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:-

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

- (i) **पिछड़े घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायतें पिछड़ी घोषित हों, पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं । प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिनमें कुल 304 पिछड़ी पंचायतें आती हैं ।
- (ii) **कंटीगुअस (Contiguous) पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों का समूह घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।
- (iii) **बिखरी पंचायतें**: जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 109 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं ।

(ख) चयनित 13 विकास शीर्षों में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए परिव्यय चिन्हांकित किया जाता है ।

(ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।

- (घ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात में किया जाता है ।
- (ङ) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है । उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को इस उप-योजना का क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।
- (च) योजना विभाग पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत केवल पूंजीगत शीर्षों को ही नियन्त्रित करता है । राजस्व शीर्षों का संचालन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता है ।

प्रदेश में कुल 3243 पंचायतों में से 546 पंचायतें पिछड़ी घोषित की जा चुकी हैं । सरकार द्वारा उप-योजना के लिए अलग बजट की व्यवस्था मांग संख्या-15 (योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना) में की जाती है । वर्ष 2015-16 के लिए मु० 43 करोड़ रु० का बजट प्रावधान योजना में पूंजीगत कार्यों के लिए रखा गया था और वर्ष 2016-17 के लिए पूंजीगत कार्यों के लिए मु० 49.50 करोड़ रु० का बजट प्रावधान योजना में रखा गया है। पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना एक गतिशील प्रक्रिया है तथा सुधार के लिए हमेशा उदार है। उप योजना में काफी लचीलापन है तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं जिलों की स्थानीय आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2015-16 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए पूंजीगत परिव्यय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(रु० लाखों में)

क्रम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या	पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 2015-16 परिव्यय/व्यय (पूंजीगत)	
			योजना परिव्यय	अनुमानित व्यय
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बिलासपुर	15	118.13	118.13
2.	चम्बा	159	1252.20	1252.20
3.	हमीरपुर	13	102.38	102.38
4.	काँगड़ा	17	133.88	133.88
5.	कुल्लू	79	622.16	622.16
6.	मण्डी	149	1173.44	1173.44
7.	शिमला	83	653.66	653.66
8.	सिरमौर	25	196.89	196.89
9.	सोलन	3	23.63	23.63
10.	ऊना	3	23.63	23.63
	योग	546	4300.00	4300.00

V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग :

राज्य स्तर पर योजना विभाग में विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के संचालन तथा अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

आधारभूत स्तर पर आधारिक संरचना के रूप में विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा सरकार के प्रयासों / स्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए विकास में जन सहयोग कार्यक्रम को 1991-92 में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक रूप में व अग्रिम नकद भागीदारी द्वारा है जिसको सम्बन्धित उपायुक्त के नाम बैंक / डाकघर में खोले गए खातों में जमा करवानी पड़ती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 17.63 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-

1. शहरी क्षेत्रों में, सामुदायिक और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 50:50 है, जबकि सरकारी परिसम्पतियां जैसे स्कूल भवन, स्वास्थ्य संस्थान एवं पशु चिकित्सा संस्थान, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज योजनाओं का निर्माण और हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए लागत भागीदारी 25:75 है, लेकिन इस सुविधा का प्रयोग समुदाय के लिए होगा न की किसी परिवार अथवा व्यक्ति विशेष के लिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में, समुदाय और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 25:75 है, परन्तु जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़ा घोषित पंचायतों और मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा बसे क्षेत्रों में समुदायिक और सरकारी लागत भागीदारी 15:85 है।
3. कोई व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति, कार्य की लागत का 50% हिस्सा देकर निर्माण करवा सकता है जो विशुद्ध रूप से परोपकारी रूप में हो या अपने पूर्वजों के पुण्यस्मरण के लिए हो।
4. स्वीकृत कार्यों का निर्माण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्तराल में पूर्ण करना पड़ता है।
5. जिन परिसम्पतियों का रखरखाव करना होता है उनके रखरखाव के लिए समुदाय और सरकार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. सभी कार्य जिनकी अनुमानित लागत 5.00 लाख रुपए से अधिक है का निर्माण सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है न की सोसाईटियों / स्थानीय समितियों द्वारा।
7. रुपए 5.00 लाख तक के कार्यों का कार्यन्वयन ग्रामीण विकास विभाग के सहायक/ कनिष्ठ अभियन्ता की देख रेख में किया जाना सुनिचित किया जाता है और प्रत्येक कार्य के पैमाईश उस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक की माप-पुस्तक (measurement book) में किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रकार की परियोजनाएं/ परिसम्पतियां स्वीकृत की जा सकती है:-

1. सरकारी शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण।
2. बहुउद्देशीय सामुदायिक/ सार्वजनिक परिसम्पतियों का निर्माण।
3. मोटर योग्य सड़कों एवं रज्जू मार्गों का निर्माण।
4. सिंचाई योजनाओं / पेयजल स्कीमों का निर्माण/ हैण्ड पम्पों की स्थापना।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के भवनों का निर्माण।
6. महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस का प्रावधान जैसे कि तीन फेज की बिजली की लाइनें, एक्सरे प्लांट और रोगी वाहन इत्यादि।
7. आवारा जानवरों के लिए गो- सदन की स्थापना।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993-94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया था। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस इत्यादि का कार्यन्वयन किया जाता है। वित्तिय वर्ष 2016-17 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 53.13 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न है:-

1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों की स्वीकृति जिला स्तरीय योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही की जाती है।
2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल ऐसे कार्यों पर ही विचार किया जाना चाहिए जिनके प्राक्कलन तथा डिजाईन तकनीकी रूप से तकनीकी प्राधिकारी / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रमों में

तकनीकी शक्तियों के दायरे में किया हो। सरकारी कर्मियों/तकनीकी अधिकारी जो तकनीकी रूप से प्राक्कलनों को अनुमोदित कर सकता है वह ही कार्य का आकलन और भुगतान के संवितरण को प्राधिकृत करने में सक्षम है।

3. उपायुक्त स्थानीय जिला नियोजन के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। बशर्ते कि चयनित विकास मदों और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत न ही किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय/दायित्व और न ही स्वीकृतियाँ को इकट्ठा व किसी कार्य को वित्तीय वर्ष से अधिक चरणवद्ध करना स्वीकार्य है।
5. स्थानीय जिला नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाने वाले कार्यों को समुदाय को लाभान्वित करना चाहिए जिसमें कम से कम पाँच परिवार होने चाहिए। कोई भी कार्य व्यक्ति विशेष / एकल परिवार को लाभान्वित करता हो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं किया जाता है।
6. स्थानीय जिला नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं कार्यों को स्वीकृत किया जाता है जिनका निर्माण एक ही वित्तीय वर्ष या स्वीकृति से एक वर्ष के अन्तराल में किया जाना होता है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना:

प्रदेश सरकार ने विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999-2000 से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना शुरू की है। इस योजना को वर्ष 2001-02 में बन्द कर दिया था परन्तु वर्ष 2003-04 में 24.00 लाख रु० प्रति निर्वाचन क्षेत्र बजट प्रावधान के साथ पुनः आरम्भ किया गया है। योजना की सफलता को देखते हुए प्रदेश सरकार इस योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान बढ़ाती रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट प्रावधान बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र कर दिया है।

इस योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण माननीय विधायकों की प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है ताकि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। वर्ष 2016-17 में इस योजना के लिए 68.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किए जा सकते हैं:-

1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण।
2. आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण।
3. हैंड पम्पों की स्थापना।
4. ऐसे गावों के लिये मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़कों से न जुड़े हुए हों।

5. गांवों में सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण जो कि गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें।
6. स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एकसरे मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीनें, ई.सी.जी. मशीनें इत्यादि।
7. स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एम्बूलेंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए संबंधित संस्था/विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।
8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी-नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए Foot Bridges का निर्माण।
9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के concrete based or black topped तथा जिसमें दो पहिया वाहन चल सकें।
10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनायें जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो।
11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें।
12. पाठशालाओं में शौचालयों का निर्माण कार्य।
13. दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतीकरण (LT Extensions).
14. स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य।
15. बस स्टैण्डों का निर्माण व रख-रखाव।
16. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि।
17. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख-रखाव।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना:

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को नजदीकी मोटर योग्य सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से कच्चे रास्तों को पक्का किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी मौसम में कनैक्टिविटी प्रदान करने के लिए पुलियों / पुलों का भी निर्माण करना। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी और मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों के मध्यनजर 2 कि०मी० तक जीप योग्य / ट्रैक्टर योग्य सम्पर्क मार्गों के निर्माण की अनुमति दी है। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए वर्ष 2003-04 में आरम्भ की है। वर्ष 2004-05 में इस योजना को बन्द कर दिया था और वर्ष 2008-09 में पुनः शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 में 5.50 करोड़ रु० का बजट प्रावधान किया है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-

1. इस योजना के अन्तर्गत बजट धनराशि का आंबटन योजना विभाग द्वारा उपायुक्तों को जिले की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले में आबाद गांवों की संख्या में 50:50 के अनुपात पर किया जाता है।
2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगे और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित पक्के सम्पर्क रास्तों का रख-रखाव सम्बन्धित पंचायत अपने स्रोत/ राजस्व से करेंगे। इस प्रकार का अनुबन्ध स्वीकृति प्रदान करने से पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत से लेना आवश्यक होगा।
4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के तकनीकी अनुमानों का अनुमोदन ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता निर्धारित तकनीकी शक्तियों के अनुसार करेंगे।
5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कार्यों को जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति में अनुमोदित करवाना आवश्यक है।
6. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले पक्के रास्तों का कार्यान्वयन स्वीकृत धनराशि के अन्दर ही होगा। इस योजना के अन्तर्गत संशोधित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा।
7. सड़क की अलायनमेंट लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए ताकि जीप योग्य सड़क को बाद में अपग्रेड करके बस योग्य सड़क लोक निर्माण विभाग के मानदंडों के अनुसार बनाया जा सके।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माननीय संसद सदस्यों द्वारा अपने - अपने निर्वाचन क्षेत्रों के पूंजीगत छोटे-छोटे कार्यों कमशः पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सड़कों इत्यादि को करने की अनुशंसा की जाती है। कार्यों की स्वीकृतियां उपायुक्तों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक संसद सदस्य को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए उनकी अनुशंसा पर विभिन्न कार्यों के लिए जारी की जाती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निम्न सेक्टर की स्कीमों को किया जा सकता है:-

1. पेयजल सुविधा।
2. शिक्षा।
3. विद्युत सुविधा।

4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. सिंचाई सुविधाएं।
6. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
7. अन्य लोक सुविधाएं।
8. रेलवे, सड़कें, पगडंडी और पुल।
9. सफाई और जन स्वास्थ्य।
10. खेलकूद।
11. पशु देखभाल, डेयरी तथा मत्स्य पालन संबंधी कार्य।
12. कृषि से संबंधित कार्य।
13. हथकरघा बुनकरों के लिए कलस्टर विकास से संबंधित कार्य।
14. शहरी विकास से संबंधित कार्य।

VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग :

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :-

(i) जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करना:

जनशक्ति एवं रोजगार विकासात्मक योजना का अभिन्न अंग है। यह जरूरी हो गया है कि राज्य स्तर पर तकनीकी और जनशक्ति के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए जनशक्ति सूचना जानकारी प्रणाली विकसित की जाए। इस प्रणाली की महत्वता को ध्यान में रखते हुए योजना विभाग में गठित जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग जनशक्ति जानकारी से सम्बन्धित सूचना का संग्रहण, संकलन और सारणीयन कर इसका सारांश एक पुस्तिका 'Fact Book of Manpower' के रूप में प्रकाशित करता है।

इस पुस्तिका प्रकाशन का कार्य एक नियमित प्रकृति का है क्योंकि समय समय पर इस कार्य को करने हेतु अनुवर्ती और संशोधन की आवश्यकता होती है तथा सांख्यिकीय डाटा तालिकाओं सहित जनसंख्या, जनशक्ति, रोजगार, बेरोजगारी, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में सीधे प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित संकलित किया जाता है।

(ii) ई.एम.आई. कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट:

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग द्वारा जिलों/क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों से डाटा का संग्रहण किया जाता है तथा 'संगठित क्षेत्र में रोजगार के त्वरित आकलन' रिपोर्ट को हर वर्ष संकलित किया जाता है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रत्येक तिमाही के अंत के आंकड़ों की स्थिति को शामिल किया जाता है।

(iii) राज्य सरकार की रोजगार योजना:

राज्य सरकार ने रोजगार अवसर सृजन करने के लिए त्रिमुखी रोजगार नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत (1) सरकारी क्षेत्र में रोजगार, (2) संगठित तथा स्वरोजगार क्षेत्र में रोजगार और (3) मजदूरी घटक रोजगार सृजन को राज्य सरकार की रोजगार नीति माना गया है। इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन का आंकलन करने के लिए मासिक आधार पर समस्त सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्रित की गई। रोजगार सृजन की भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। उपरोक्त सभी रिपोर्ट का संकलन कार्य किया जा रहा है तथा प्रकाशन शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

VII. बाह्य-सहायता परियोजना प्रभाग:

योजना विभाग के बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग को विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य वित्त सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है। योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायता प्राप्त प्राधिकरणों, निजी निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रबन्धन के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण करता है। यह प्रभाग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु पत्राचार करता है। प्रशासनिक सचिव, योजना, हि0प्र0 सरकार को प्रदेश की सभी बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इन परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कार्यन्वयन एजेंसियों से वित्तीय व भौतिक उपलब्धियों की रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्राप्त की जाती है। इस प्रभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को भारत सरकार को प्रेषित करने के संदर्भ में परामर्श प्रदान किए जाते हैं।

विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA), जी. आई. जैड., ए.एफ.डी. (फ्रांसीसी सरकार की एजेंसी) तथा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन एजेंसी), न्यू डेवलपमेंट बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को, परियोजना प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए, सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाता है तथा उनसे यह आग्रह किया जाता है कि वे राज्य की प्राथमिकताओं को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण करके अनुमोदित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं:
रूपये करोड़ों में

क्र० सं०	परियोजना का नाम	डोनर एजेंसी	नोडल विभाग	कुल लागत	परियोजना अवधि	
					प्रारम्भ की तारीख	समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	हि०प्र० राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक	लोक निर्माण विभाग	1802.84	जुलाई.07	जून.16
2.	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना	विश्व बैंक	वन विभाग	598.75	अक्टूबर-05	मार्च.16
3.	स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना	जे० आई० सी० ए०	वन विभाग	227.31	मार्च.06	मार्च.16
4.	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम	एशियन डेवलपमेंट बैंक	पर्यटन विभाग	428.22	2010	2020
5.	हि०प्र० फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना	जे० आई० सी० ए०	कृषि विभाग	321.00	जुलाई.11	मार्च.18
6.	क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम	एशियन डेवलपमेंट बैंक	विद्युत विभाग	1927.00	जनवरी.12	दिसम्बर.18
7.	विद्युत परियोजनाएं	एशियन डेवलपमेंट बैंक	विद्युत विभाग	6673.87	नवम्बर.08	जून.16
कुल योग				11978.77		

गत वर्ष विश्लेषित/परीक्षण की गई प्रमुख बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं:

विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को प्रति वर्ष राज्य स्तर पर बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेषित करने के लिए परीक्षण किया जाता है तथा परीक्षण उपरान्त पी०पी०आर० स्तर पर योग्य पाए गए प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। जिसके उपरान्त ये सभी प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं। गत वर्ष के दौरान परीक्षण/विश्लेषित की गई कुछ प्रमुख परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से हैं:-

- हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना:** 1115 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है तथा इस परियोजना का कार्यान्वयन अभी प्रारंभिक चरण पर है। इस परियोजना के अन्तर्गत बागवानी क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा तथा बागवानी को Diversified व जलवायु अनुरूप बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के अन्तर्गत मूल्य संबर्धन व बाजार तक उत्पाद की पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए Agri-Enterprises का विकास किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना:** 640 करोड़ रूपये की लागत वाली यह परियोजना ADB से वित्त पोषित करने हेतु भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 5 अक्टूबर, 2015 को स्वीकृत कर ली गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कौशल तथा आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए निजी

उद्योगों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में रोजगार व स्वरोजगार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे ।

3. **फोरेस्ट ईको- सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग परियोजना:** 286 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का कार्यान्वयन के0 एफ0 डब्ल्यू0 (जर्मन बैंक) की वित्तीय सहायता से राज्य के चम्बा व कांगड़ा जिलों में वर्ष 2015-16 से 7 वर्षों के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबन्धन द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करना, जैव-विविधता में वृद्धि व ग्रामीण लोगों को आय के सुनिश्चित उपाय उपलब्ध करवाना है।
4. **कोल डैम जलाशय से शिमला शहर के लिए उठाऊ जल प्रवाह स्कीम :** 643.05 करोड़ रु. की यह व्यापक परियोजना भारत सरकार की स्कीनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 29 जून, 2015 को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भेजने के लिए सैधांतिक रूप से स्वीकृत की जा चुकी है।
5. **हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना-Phase2:** स्टेट रोड़ परियोजना के द्वितीय चरण में 3200 करोड़ रुपये की परियोजना World Bank से वित्त पोषित हेतु भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत कर ली है । परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग मापकों व सेवा स्तर के अनुसार कोर सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ।

इन परियोजनाओं के अतिरिक्त विद्युत, शहरी विकास व वन आदि क्षेत्रों की कुछ और परियोजनाएँ भारत सरकार व डोनर एजेन्सियों के पास विभिन्न चरणों पर विचारार्थ हैं।

राज्य स्तर पर नवाचार :

हिमाचल प्रदेश को एक इनोवेटिव राज्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न विभागों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने व इन क्षेत्रों के अनुभवों के आदान-प्रदान द्वारा राज्य स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गये हैं।

I. राज्य नवाचार परिषद का गठन:-

राज्य नवाचार परिषद का गठन हिमाचल सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2011 को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हुआ था जिसमें राज्य के सम्बन्धित विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस परिषद की परिधि के अन्तर्गत कुछ और संस्थानों जैसे एनआईटी, हमीरपुर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी मण्डी, हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद् तथा उद्योग विभाग को लाने के लिए 4 अगस्त, 2014 व 31 दिसंबर, 2015 को इस परिषद का विस्तार किया गया।

II. राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न नवाचार तकनीकें:

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर नवीन एवं ईनोवेटिव विचारों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। अतीत में भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं। जिन्होंने इन विचारों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इनमें से कुछ नवीन विचार हैं- प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर प्लास्टिक सड़कों का निर्माण करना, साधारण बल्बों को सी. एफ. एल/ एल. ई. डी. बल्बों से प्रतिस्थापन कर वातावरण में हानिकारक गैसों व प्रदूषण के स्तर को कम करके पर्यावरण में सुधार लाना, भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर राज्य में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना, वेब आधारित जी. आई. एस. पोर्टल द्वारा राज्य में उपलब्ध पन विद्युत क्षमता की स्थिति पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट चित्रों से डिजिटल एलिवेशन नक्शे बनाना तथा भू रिकार्ड अपडेट करने की प्रणाली को विकसित करने, आटोमैटिक व आटोमैटिक इन्तकाल, राजस्व व पंजीकरण के मध्य इंटर कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु टैक्सच्युल व आकाशीय रिकार्ड का एकीकरण करने के लिए प्रिसेप्टिव टाईटल प्रणाली को कनकलूसिव टाईटल प्रणाली से स्थानांतरित करना।

III. राज्य नवाचार फण्ड : राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में नई पहल आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य नवाचार फण्ड का गठन किया गया है। इस फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दिशा-निर्देशों को राज्य नवाचार परिषद की स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित कर दिया गया है। गत दो वर्षों में विभिन्न विभागों की 1.39 करोड़ रुपये से अधिक की पांच स्कीमें/परियोजनाएं राज्य इनोवेशन फंड के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई है।

वर्ष 2015-16 के दौरान इस फंड के अन्तर्गत 1.10 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया था तथा विभिन्न विभागों की निम्न 4 स्कीमें/परियोजनाएं कार्यन्वयन हेतु स्वीकार की गई हैं:

- 1. चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थित पुस्तकालय का डिजिटलईजेशन :** दिनांक 4 सितम्बर, 2015 को चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थित पुस्तकालय व सूचना प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलईजेशन हेतु मु0 8.00 लाख रुपये अनुमोदित किये गये हैं। इस परियोजना के कार्यन्वयन से शोधकर्ताओं, शिक्षकों और हिमाचल के छात्रों के लिए ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध होगी तथा दुर्लभ और सचित्र पुस्तकों सहित हिमाचल से सम्बन्धित पुस्तकें डिजिटल और ओपन एक्सेस के साथ उपलब्ध रहेंगी।
- 2. ऑन लाईन प्लानिंग परमिशन के लिए वेब पोर्टल:** इस परियोजना का लक्ष्य प्लानिंग परमिशन के लिए मैनुअल प्रक्रिया को समाप्त कर ऑनलाईन प्लानिंग परमिशन के लिए एक मजबूत प्रणाली (MIS) विकसित करना है। यह प्रणाली बिल्डरों व निजी पेशावरों को ऑनलाईन पंजीकरण व लाइसेंस प्रदान करने की सेवाएँ प्रदान करेगा। इस कार्य

हेतु राज्य नगर एवं ग्राम योजना विभाग को SInF से मु0 54.00 लाख की राशि 4 सितम्बर 2015 को अनुमोदित की जा चुकी है। इस प्रणाली को विकसित व होस्ट कर तथा पायलट उपयोगताओं को सम्बन्धित प्रशिक्षणोपरांत, यह ऐप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा जनवरी, 2016 को आरंभ की गई। राज्य नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के तीन क्षेत्रीय कार्यालय में इसे लागू किया गया है तथा 31 मार्च, 2016 तक इसे शेष 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू किये जाने की संभावना है।

3. हिमाचल प्रदेश सचिवालय स्थित पुस्तकालय का डिजिटलईजेशन : इस परियोजना का उद्देश्य किताबों और प्रशासनिक अभिलेखों का संरक्षण, अंतः उपयोगकर्ताओं हेतु आसान पहुंच व उपलब्धता प्रदान करना, मैनुअल प्रक्रिया को समाप्त कर इस नई तकनीक की मदद से उत्पादकता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य के लिए वेब बेस्ड दर्तावेज अभिलेखीय और रिट्रीवल सूचना प्रबंधन प्रणाली (DMS) को विकसित करना प्रस्तावित है जो डिजिटल रूप से पुस्तकालय में आंतरिकत और बाह्य दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा प्रदान करेगा। इस उद्देश्य हेतु SInF से मु0 19.30 लाख रुपये की परियोजना 6 फरवरी, 2016 को अनुमोदित की गई है।

4. दवाओं/वीर्य स्ट्र हेतु ऑनलाईन इन्वेंटरी का विकास : इस परियोजना का उद्देश्य आर्यभट्ट जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड स्पेस ऐप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से दवाओं/वीर्य स्ट्र की सूची ऑन लाइन तैयार करने हेतु ऐप्लीकेशन का विकास करना है इसका उपयोग जिला चिकित्सा पूल स्टोर्स, सपर्म स्टेशनों व वीर्य बैंको द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य अभिलेखों के उचित रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिए कुशल निगरानी तंत्र को विकसित करने के साथ साथ पशु चिकित्सा संस्थानों में मांग व आपूर्ति के विनियमन को सुनिश्चित बनाना है। इस परियोजना हेतु राज्य अभिनव कोष से मु0 4.50 लाख रुपये की राशि 26 फरवरी 2016 को स्वीकृत की जा चुकी है।

IV. नवाचार अवार्ड योजना:

राज्य सरकार ने उत्तम नवाचार कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी विभागों, स्थानीय सरकारों, सामुदायिक विकास समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों/स्वायत्त निकायों के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्ति विशेष के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। इस उद्देश्य हेतु विस्तृत योजना नामतः “हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार अवार्ड स्कीम-2014-15” आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत कृषि, बागवानी, शैक्षणिक, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण, सामाजिक विकास, पर्यटन तथा सरकारी क्षेत्रों सहित छह क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।

वर्ष 2014-15 के लिये हि0 प्र0 राज्य इनोवेशन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत चयनित इनोवेशन्स/विजेता :

राज्य में अपनाई जा रही नवीनतम व इनोवेटिव प्रथाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु आरम्भ की गई हि0प्र0 राज्य नवाचार पुरस्कार योजना

के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिये कुल 27 प्रस्तावनायें प्राप्त हुईं जिनकी सम्बन्धित सैक्टर समितियों द्वारा छंटनी की गई। सैक्टर समितियों की अनुशंसा उपरान्त, राज्य नवाचार परिषद द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 को आयोजित बैठक में तीन नवाचारों Localized Generic para Pheromone based Bottle Trap effective against fruit flies, जिलों के लिए भूकंप प्रतिरोधी गैर इंजिनियरिंग भवन निर्माण मार्ग निर्देशिका और Low Cost Bio Sand Filter क्रमशः कृषि एवं बागवानी, शैक्षणिक और सामाजिक विकास सैक्टर में पुरस्कार प्रदान करने हेतु चयनित की गईं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय पालमपुर के कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों डा. पी. के. मेहता, डॉ. पंकज सूद व अ.सी.एस. प्रभाकर द्वारा विकसित ईनोवेशन नामतः स्थानीय जेनेरिक पैरा फेरोमोन आधारित फल मक्खियों के खिलाफ प्राभावी बोतल जाल को कृषि व बागवानी क्षेत्र में वर्ष 2014-15 के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया। यह बोतल जाल किसानों को रसायनों का उपयोग किए बिना व लगभग 100 रु. प्रति जाल की कम लागत पर फसलों को मक्खियों के हमले से बचाने में मददगार सिद्ध होगा।
2. शैक्षणिक क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के सहायक प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग) डॉ. हेमन्त कुमार विनायक की ईनोवेशन हिमाचल प्रदेश के जिलों के लिए भूकम्प प्रतिरोधी गैर इंजिनियरिंग भवन निर्माण मार्ग निर्देशिका को वर्ष 2014-15 के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया। ये गैर इंजीनियरिंग दिशा निर्देश राजमिस्त्रियों व निर्माण कार्य से जुड़े अन्य कुशल व अर्ध-कुशल श्रमिकों को भूकंप सुरक्षित निर्माण कार्यों में सहायक सिद्ध होंगे। ये दिशा निर्देश हि0प्र0 के सन्दर्भ में विशेषतः सहायक सिद्ध होंगे जहां अधिकतर क्षेत्र भूकंपीय जोन IV व V के अन्तर्गत आता है।
3. NGO-Social Awareness Through Human Involvement (SATHI) द्वारा घरेलू पानी को फिल्टर करने के लिए विकसित लागत प्रभावी तकनीक- बायो सैंड फिल्टर को सामाजिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इस तकनीक के उपयोग से सिरमौर जिले के ग्रामीण इलाकों में जल जनित रोगों की दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

वर्ष 2014-15 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ईनोवेशन अवॉर्ड स्कीम के अन्तर्गत चयनित इन ईनोवेशन्स/विजेताओं को माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा 15 अप्रैल, 2016 को बिलासपूर जिला के घुमारवी में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया गया

परिणाम रूपरेखा दस्तावेज-हिमाचल प्रदेश के लिए कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली (PMES)

प्रदेश में सरकारी विभागों के कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है। PMES के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा प्रति वर्ष परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (RFD) तैयार करना आवश्यक है।

यह तंत्र किसी विभाग द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित उपलब्धियों के महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश प्रदान करता है। इस दस्तावेज के दो मुख्य उद्देश्य हैं, (क) प्रक्रिया केन्द्रित विभागीय गतिविधियों को परिणाम केन्द्रित बनाना (ख) वर्ष के अन्त में विभाग के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक निष्पक्ष व न्यायोचित आधार प्रदान करना।

राज्य में आर०एफ०डी०

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सभी सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों के लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज तैयार करने हेतु कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों/संगठनों के सम्मत उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को समयवद्ध ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हर साल एक परिणाम रूपरेखा दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा यह कार्यक्रम वर्ष 2011-12 से आरम्भ किया गया है और योजना विभाग राज्य स्तर पर पी०एम०ई०एस० के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, सभी विभागों के लिए राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश तैयार किये जाते हैं और इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिणाम-रूपरेखा दस्तावेज तैयार करने के लिए योजना विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को जारी किये जाते हैं। किसी विशेष वर्ष के लिए बजटीय आबंटन के आधार पर, सम्बन्धित विभाग द्वारा डाफ्ट RFDs तैयार कर RFMS साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाईन अपलोड किया जाता है। राज्य स्तर पर इन डाफ्ट RFDs की प्रशिक्षित रिर्सेस पर्सनल द्वारा प्रारम्भिक समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को इस समीक्षा की फीडबैक प्रदान की जाती है जिसके आधार पर विभागों द्वारा सुझावों को विभाग की RFD में सम्मिलित किया जाता है। तदोपरान्त राज्य स्तर पर योजना विभाग द्वारा इन संशोधित RFDs को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात सम्बन्धित विभागों द्वारा अन्तिम RFDs उनकी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गतिविधियों को एक निश्चित समय अवधि के अन्दर पूरा किया जाना होता है। वित्तीय वर्ष के अन्त में, सभी विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में समग्र स्कोर का निर्धारण कर उपलब्धियों को अपलोड किया जाना होता है। समग्र स्कोर द्वारा विभाग की लक्षित उपलब्धियों का आकलन होता है। तत्पश्चात, सभी विभागों के संबंध में समग्र स्कोर को राज्य स्तर पर योजना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 40 विभागों/निगमों/बोर्डों द्वारा अपने-अपने विभाग/संगठन की आर0एफ0डी0 तैयार की गई है।

VIII. कौशल विकास प्रभाग

कौशल विकास से सम्बन्धित कार्य राज्य में प्रशासनिक विभाग के रूप में योजना विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में कौशल विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए निम्न कार्य किये गये।

- कौशल विकास वार्षिक योजना 2015-16 को सभी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को शामिल कर तैयार की गई।
- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास की मु0 640 करोड़ रुपये की पारंपरिक परियोजना रिपोर्ट को एशिया विकास बैंक से बाहरी सहायता हेतु तैयार किया गया।
- मु0 640 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश कौशल विकास की परियोजना की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के वित्त विभाग से हर स्तर पर पत्राचार किया गया तथा आखिरकार भारत सरकार के वित्त विभाग से इस परियोजना की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई।
- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के संविधान का ज्ञापन तैयार किया गया तथा राज्य मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात निगम की अधिसूचना जारी की गई।
- वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना, सलाहकार योजना व प्रबंधक निदेशक की अध्यक्षता में कौशल विकास से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों व एशिया विकास बैंक द्वारा प्राधिकृत सलाहकारों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया गया।
- कौशल विकास से सम्बन्धित विभागों से प्राप्त इनपुट / सहयोग के आधार पर हिमाचल प्रदेश के लिए कौशल विकास योजना का नीति दस्तावेज तैयार किया गया।
- दिनांक 29 -30 सितम्बर, 2015 को योजना विभाग द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण / ऐजेंसी के सहयोग से भारत यूरोप परियोजना के माध्यम से “ क्षमता आधारित पाठ्यक्रम को तैयार करना व उद्योग ज़रूरत आधारित प्रशिक्षण व विश्लेषण और ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण ” (**Competence Based Curriculum Development, Training Needs Analysis and Training of Trainers**) पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला का हिमा शिमला में आयोजन किया गया।
- कौशल विकास प्रशिक्षण योजना की सफलता व तत्पश्चात प्रशिक्षण प्रशिक्षु की प्लेसमेंट (नियोजन) को सुनिश्चित बनाने व उद्योगों से सम्बन्धों की मज़बूती हेतु योजना विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से माह फरवरी, 2016 में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष 18 क्षेत्र

विकास परिषद (Sector Skill Council) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु समारोह का आयोजन किया गया।

IX. नाबाई-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभाग:

वर्ष 1995-96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबाई राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कों, मार्केट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा। आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ-1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबाई से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था। इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX तथा XXI के अन्तर्गत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

2. राज्य सरकार नाबाई से आर0 आई0 डी0 एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है। मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबाई से परियोजनाएँ अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण।
2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
3. बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का निर्माण।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण “सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना”।
6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना।
7. ई-अभिशासन (E-Governance)।
8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।
9. जल प्रवाह विकास योजना।
10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई)।
12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना।
13. वातानुकूलित भण्डारण निर्माण।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31-03-2016 तक प्रदेश सरकार को 5758 करोड़ रु0 की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(करोड़ रु0 में)

ट्रांच संख्या	कार्यक्रम की अवधि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड ऋण सहायता	राज्य अंशदान	कुल स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 से 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 से 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 से 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 से 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ -VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ -VIII	2002-03 से 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 से 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 से 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 से 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ -XII	2006-07 से 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
आर.आई.डी.एफ -XIII	2007-08 से 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
आर.आई.डी.एफ -XIV	2008-09 से 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
आर.आई.डी.एफ -XV	2009-10 से 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
आर.आई.डी.एफ -XVI	2010-11 से 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
आर.आई.डी.एफ -XVII	2011-12 से 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
आर.आई.डी.एफ -XVIII	2012-13 से 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
आर.आई.डी.एफ -XIX	2013-14 से 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
आर.आई.डी.एफ -XX	2014-15 से 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
आर.आई.डी.एफ -XXI	2015-16 से 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
	कुल योग: (I से XXI)	5271	5797.55	560.45	6358.00

4. दिनांक 31-03-2016 तक उपरोक्त स्वीकृत नाबार्ड ऋण सहायता राशि 5758 करोड़ रु0 में से प्रदेश सरकार ने 3965 करोड़ रु0 की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है। नाबार्ड से प्राप्त आर0आई0डी0एफ0

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का वर्ष 1995-96 से 2015-16 तक विवरण निम्न तालिका में है :-

वर्ष	प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ (करोड़ रु० में)
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
Total	3964.94

5. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (2006-07 से 2015-16):

(करोड़ रु० में)				
क्रम संख्या	वर्ष / ट्रांच	ऋण स्वीकृत लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशतता
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (560.00-नाबार्ड)	412.90	103.22
6.	2011-12 (XVII)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (540.00-नाबार्ड)	423.69	105.93
7.	2012-13 (XVIII)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (500.00-नाबार्ड)	432.16	108.04
8.	2013-14 (XIX)	475.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित)	496.09	104.44
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47

6. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित करना तथा योजनाओं की समीक्षा, इत्यादि के सम्बन्ध में योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

7. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :-

क्रम संख्या	बैठक का नाम	बैठक तिथि एवं स्थान	बैठक की अध्यक्षता
1.	2.	3.	4.
1.	आर0आई0डी0एफ0 की 44वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC) की बैठक	16-06-2015 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2.	विधायकों के साथ बैठके	4 व 5 फरवरी, 2016 शिमला	माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त वर्णित बैठकों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ द्विमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं । इन बैठकों में कार्यकारी विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त नाबार्ड एवं योजना विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं । मासिक समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को योजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं । इन बैठकों से योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है। उपरोक्त समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त जिला स्तर पर भी सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

X. 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग:

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भू-सुधार, सिंचाई, पेयजल, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-गवर्नेंस, इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण किया जाता है ।

पुनःसंरचित बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में मूल रूप में 20 सूत्र और 65 अनुश्रवण योग्य मदें हैं जो कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग होती हैं । 2009-10 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के कार्यान्वयन का आकलन भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग के आधार पर होता था परन्तु उसके उपरान्त रैंकिंग को समाप्त कर दिया गया है ।

प्रत्येक अनुश्रवण/निगरानी वाली मद का त्रैमासिक/अर्धवार्षिक उपलब्धि के आधार पर “बहुत अच्छा”, “अच्छा” और “खराब/चिन्ताजनक” श्रेणी में वर्गीकरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्रतिशतता उपलब्धि	श्रेणी
1.	2.	3.
1.	90 प्रतिशत एवं उससे अधिक	बहुत अच्छा
2.	80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत	अच्छा
3.	80 प्रतिशत से नीचे	खराब/चिन्ताजनक

2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश का बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गत वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन में राज्य की उपलब्धि/स्थान का गत 5 वर्षों का वर्षवार विवरण निम्न है:-

क्रम संख्या	वर्ष	राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की <u>उपलब्धि/स्थान</u>
1.	2.	3.
1.	2010-11	Placed at the Top in the Very Good Category
2.	2011-12	Placed at the Top in the Very Good Category
3.	2012-13	Very Good in all items except Road Construction (PMGSY) which was ranked Good (80% to 90%).
4.	2013-14	Placed at the top in Very Good category.
5.	2014-15	Very Good In all items except Houses Constructed – IAY and Houses Constructed – EWS/LIG

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के प्रभावशाली निष्पादन में विभिन्न जिलों में प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अन्तर जिला श्रेणी/विश्लेषण का कार्य शुरू किया है । इसके अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले तीन जिलों को प्रोत्साहन राशि के रूप में क्रमशः 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये व 20 लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इस प्रोत्साहन राशि को जिलों की विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है ।

वर्ष 2014-15 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम निष्पादन के आधार पर 7 जिलों क्रमशः बिलासपुर, मण्डी, लाहौल-स्पिति, किन्नौर, सिरमौर, सोलन एवं ऊना ने संयुक्त रूप से अन्तर जिला विश्लेषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

इन 7 जिलों को एक करोड़ रु० की ईनाम राशि आवंटित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	राशि (रु० में)
1.	मण्डी	14.28
2.	सिरमौर	14.28
3.	ऊना	14.28
4.	सोलन	14.29
5.	बिलासपुर	14.29
6.	किन्नौर	14.29
7.	लाहौल-स्पिति	14.29
	योग	100.00

जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियाँ सभी जिलों में त्रैमासिक बैठकों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती हैं । इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय मुख्य मन्त्री/मन्त्री/विधायक द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी / जिला योजना अधिकारी भी समय-समय पर जिलों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा / अनुश्रवण करते हैं।

राज्य स्तर पर माननीय मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) एवं सलाहकार (योजना), हि०प्र० की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न बैठकों में भी बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम तथा राज्य, जिला एवं उप मण्डल स्तर की योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों के गठन से सम्बन्धित समस्त कार्य पत्राचार, वर्ष 2015-16 के दौरान, बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग द्वारा निष्पादित किये गये हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए, 31 मार्च, 2016 तक, मदवार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Twenty Point Programme 2015-16
Achievements under TPP for the year 2015-16 upto 4th quarter ending 31st March, 2016

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2015-16	Cum. ach. upto March, 2016	% age Ach. Based on March, 2016 Targets	Rating/ Category
1	2	3	4	5	6	7
01A	Employment generation under the NREG Act					
01A01	No. of job cards issued	No.	NT	1165199	-	-
01A02	Employment generated	Mandays	NT	17650000	-	-
01A03	Wages given in cash	Rupees	NT	2839831000	-	-
01B	National Rural Livelihood Mission (NRLM)					
01B01*	Number of new and revived SHGs brought under NRLM fold during the financial year	No.	300	2937	979	V.Good
01B02	Number of SHGs provided Revolving Fund (RF) during the financial year	No.	300	1592	530.67	V.Good
01E02*	Number of SHGs provided Community Investment Fund (CIF) during the financial year	No.	150	164	109.33	V.Good
05A	Food Security-Targeted Public Distribution System (TPDS)					
05A02	Food Security: Targeted Public Distribution System (APL+BPL+AA Y) (Other than NFSA+NFSA)	Tonnes	NT	517929	-	-
05B02	Food Security: Below Poverty Line (BPL)	Tonnes	NT	NA		
05D02	Food Security: Antyodaya Anna Yojana (AA Y)	Tonnes	NT	NA	-	-
05E02	Food Grains under NFSA - Normal	Tonnes	NT	188383		
05F02	Food Grains under NFSA – Tide Over	Tonnes	NT	NA	-	-
	Other than NFSA	Tonnes	NT	329546	-	-
06A	Rural Housing –Indira Awaas Yojana					
06A01*	Houses constructed-IAY	No.	2635	2972	112.79	V.Good
06B	EWS/LIG Houses in Urban Areas					
06B01*	Houses constructed	No.	610	547	89.67	V.Good
07A03*	Habitations covered (Partially covered & Slipped back)	No.	1115 (Revised)	1536	137.76	V.Good
07B	Sanitation Programme in Rural Areas					
08E	Institutional Delivery					
08E01	Delivery in institutions	No.	NT	78628	-	-
10A	SC Families Assisted					
10A02*	(i)SC Families Assisted under SCA to SCSP and NSFDC	No.	9104	34716	271.48	V.Good
12A	Universalization of ICDS Scheme					
12A01*	ICDS Blocks Operational (Cumulative)	No.	78	78	100.00	V.Good

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2015-16	Cum. ach. upto March, 2016	% age Ach. Based on March, 2016 Targets	Rating/ Category
1	2	3	4	5	6	7
12B	Functional Anganwadis					
12B01*	Anganwadis Functional (Cumulative)	No.	18925	18925	100.00	V.Good
14A	No. of Urban poor families assisted under Seven Point Charter.					
14A01*	Poor Families Assisted	No.		NR	-	
15A	Afforestation (Public and Forest Lands)					
15A01*	Area Covered under Plantation	Hectares	18000	11449	63.61	Poor
15A02*	Seedlings planted	No. in lakh	11700000	12167712	104.00	V.Good
17A	Rural Roads –PMGSY					
17A01*	Length of Road Constructed	Kilometer	300	654	218	V.Good
18B	Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)					
18B01*	Villages electrified	No.	1	-	-	-
18D	Energising pump sets					
18D01*	Pumps sets energized	No.	1014	1758	173.37	V.Good
18E02	Supply of Electricity					
18C02	Electricity supplied	Million units	NT	8983	-	-

*** Items for Ranking Purpose.**

NT= Non Targeted

NR= Not Reported

TNR=Target Not Received

XI. रेलवे प्रभाग :

राज्य में रेल सम्बन्धित कार्यों के लिए योजना विभाग प्रशासनिक विभाग है। रेलवे प्रभाग द्वारा रेलवे से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों जैसे भू-अधिग्रहण, समन्वय, अनुश्रवण व समीक्षा, इत्यादि का कार्य किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान उत्तर रेलवे के अधिकारियों, RVNL, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा व समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान रेल प्रभाग द्वारा निम्न रेल लाईनों के बारे में पत्राचार किए गए:-

1. **भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी- ब्रॉडगेज रेल लाईन(63.1 कि०मी०):** रेल मंत्रालय ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाईन के पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले निर्माण कार्य को RVNL को स्थानान्तरित किया है। RVNL द्वारा इस रेल लाईन के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक क्षेत्रीय अन्वेषण

किया जा रहा है। CCEA के निर्णय के अनुरूप, 25 प्रतिशत लागत राज्य सरकार, 25 प्रतिशत रेलवे मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा व 50 प्रतिशत वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस रेल लाईन की संशोधित लागत रू० 1046 करोड़ से बढ़कर रू० 2967 करोड़ हो गई है। RVNL को पहले पंजाब राज्य में पड़ने वाले भूमि के भाग (लगभग 6 कि०मी०) की भू अधिग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण करने बारे अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आरम्भ की जाएगी।

2. **चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईन(33.23 कि०मी०):** राज्य सरकार ने इस परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का निर्णय लिया है। इस रेल लाईन का प्राकलन मु० 1672 करोड़ रू० उत्तर रेलवे मुख्यालय, नई दिल्ली को उत्तर रेलवे चण्डीगढ़ से अनुमोदन हेतु भेजा गया है। वर्ष के दौरान रेलवे तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ इस रेल लाईन कार्य से सम्बन्धित विभिन्न समीक्षा बैठकें एवं पत्राचार किया गया। इस परियोजना के लिए समय पर भूमि उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में भू-स्वामियों से भूमि खरीद हेतु समझौता प्रक्रिया शुरू की गई है।
3. **नंगल-तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाईन(83.74 कि०मी०):** इस रेल लाईन की कुल लम्बाई 83.74 कि०मी० है जिसमें से 62 कि०मी० ट्रैक हिमाचल प्रदेश में आता है। अम्ब-अन्दौरा (4.4 कि०मी०) रेल लाईन पर यातायात आरम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना को पूर्ण करने की लागत लगभग 1200 करोड़ रू० है। अम्ब-अन्दौरा-चिन्तपुरणी-दौलतपुर चौक (18 कि०मी०) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उत्तर रेलवे द्वारा 31-03-2016 तक अम्ब-अन्दौरा-चिन्तपुरणी (9 कि०मी०) भाग को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। यह परियोजना पूर्ण होने पर जम्मू और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है तथा PRAGATI द्वारा भी इस परियोजना की समीक्षा की जा रही है।
4. (क) पठानकोट-जोगिन्द्रनगर नैरोगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज रेल लाईन में परिवर्तित करना तथा इसका विस्तार वाया मण्डी लेह-लद्दाख तक करने बारे:

(ख) घनौली-बद्दी-कालाअम्ब-पौटा साहिब-देहरादून ब्रॉडगेज रेल लाईन :

राज्य सरकार द्वारा इन दोनों रेल लाईनों से सम्बन्धित मामले रेल मन्त्रालय, भारत सरकार, के साथ समय-2 पर उठाए गए हैं। भारत सरकार से राज्य में रेल लाईनों के विस्तार हेतु बार-बार अनुरोध किया गया है। रेल लाईनों के लिए वार्षिक रेलवे बजट में पर्याप्त प्रावधान करने बारे में भी अनुरोध किया गया है।

रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा समझौता कमेटियां गठित की गईं ताकि राज्य में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए भू-मालिकों की सहमति से भूमि क्रय की जा

सके। वर्ष 2015-16 के दौरान रेलवे प्रभाग द्वारा रेलवे से सम्बन्धित सभी कार्य निष्पादित किये गये। सरकार के इस प्रयास से प्रदेश में निर्मित की जाने वाली रेल लाईनों के लिए समय पर भूमि उपलब्ध हो पायेगी। इसके अतिरिक्त भू-अर्जन से सम्बन्धित मुकदमेबाजी भी कम होगी तथा रेल परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में होने वाली देरी भी कम होगी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत वृद्धि से बचा जा सकेगा।

XII. मूल्यांकन प्रभाग:

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यान्वयन प्रक्रिया को जांचना है ताकि स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलों व कमियों का पता लग सके और इन तथ्यों पर आधारित कार्यान्वयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय/ सुझाव दिए जा सकें। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

वर्ष 2014-15 में मूल्यांकन प्रभाग को “Evaluation study on Technical Institution situated in Himachal Pradesh” का कार्य सौंपा गया था। तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़े के आधार पर प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करके हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को भेज दी गई है।

XIII. विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग:

विधायक प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान निम्न कार्य निष्पादित किए गए:-

विधायक प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट में विधायकों की प्राथमिकताओं को सम्मिलित करने बारे बैठकों का आयोजन किया जाता है।

- 1 वर्ष 2015-16 के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई जिस पर विभागों से अनुवर्ती कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात् संकलित करके सभी माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाई गई।
- 2 वार्षिक योजना 2016-17 के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 4 एवं 5 फरवरी, 2016 को माननीय विधायकों की बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में विधायकों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों एवं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को संकलित करके सभी सम्बन्धित विभागों एवं विधायकों को प्रेषित

किया गया । सभी सम्बन्धित विभागों से आग्रह किया गया कि वे बैठकों की कार्यवाही पर उचित अनुवर्ती कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से प्रदेश सरकार को सूचित किया जाए ।

- 3 प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप विधायकों द्वारा तीन विकास शीर्षों सड़क, ग्रामीण पेयजल एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत दो-दो प्राथमिकताओं की योजनाएं नई एवं चालू योजनाओं के अन्तर्गत बजट में शामिल करने के लिए दी जाती हैं । इस प्रकार प्रत्येक विधायक की 6 नई एवं 6 चालू योजनाएं बजट में सम्मिलित की जाती हैं । प्रत्येक विधायक को यह छूट होती है कि वह सभी 6 योजनाएं किसी एक ही विकास शीर्ष अथवा दो विकास शीर्षों या तीनों विकास शीर्षों में प्रस्तावित कर सकते हैं। उपरोक्त के अनुरूप माननीय विधायकों से प्राथमिकताएं प्राप्त होने के उपरान्त संकलित की गई । संकलित प्राथमिकताओं को **“नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2016-17”**, के रूप में प्रकाशित किया गया। यह प्रकाशन राज्य के वार्षिक बजट का हिस्सा है।
- 4 विधायक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित कार्य गतिशील प्रवृत्ति का है। वर्ष के दौरान विधायकों से योजनाओं में फेरबदल/प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए । इन प्रस्तावों पर सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वाँछित कार्यवाही की गई। सम्बन्धित विभागों को विधायकों के प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए तथा सम्बन्धित विधायकों को भी फेरबदल/ प्रतिस्थापित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सूचित किया गया ।

XIV. कम्प्यूटर प्रभाग:

कम्प्यूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्प्यूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्टें पहले कम्प्यूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुद्रण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न सॉफ्टवेयर को विकसित करता रहता है :-

1. वार्षिक योजना 2015-16 के लिए जी0एन0 सॉफ्टवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
2. आर.आई.डी.एफ. का सॉफ्टवेयर / सुधार ।
3. माननीय विधायकों की प्राथमिकता की स्कीमों के सॉफ्टवेयर का रूपान्तर/सुधार ।
4. स्टेट इनोवेशन कॉउंसिल सॉफ्टवेयर विकसित करना
5. वार्षिक योजना (2015-16) के दस्तावेज का कार्य ।

6. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों व अतिरिक्त मंहगाई भत्तों को तैयार करने सम्बन्धी सॉफ्टवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
7. माननीय विधायकों की स्कीमों को सॉफ्टवेयर के द्वारा Data Entry.
8. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के बजट परिव्ययों का जिलावार एवं एस0ओ0ई0-वार आंवटन ।
9. विभिन्न कार्यक्रमों / स्कीमों की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट्स ।
10. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की आयकर विवरणिकाओं को तैयार करने में सहायता के लिए सॉफ्टवेयर का रूपान्तर/सुधार ।
11. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्प्यूटरीकरण करने तथा वर्ष 2015-16 के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथमिकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार करने में सहायता ।
12. Fact Book on Manpower तथा Quick Estimates 2014-15 के दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता ।
13. विभाग की विभिन्न बैठकों के लिए Power Point Presentation.
14. 20-सूत्रीय कार्यक्रम त्रैमासिक रिपोर्ट्स ।
15. विभाग की Web site की maintenance/updation.
16. विभाग के सभी प्रभागों को वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई ।
17. आर.एफ.डी.सोफ्टवेयर की मोनिटरिंग ।
18. ई-वितरण (हिमकोष) कार्य ।
19. ई-सर्विस बुक का कार्य ।
20. ए0सी0ए0/एस0पी0ए0 केन्द्रीय सहायता (नीति आयोग)
21. संसद सदस्यों के सॉफ्टवेयर की मोनिटरिंग ।
22. विकेन्द्रीकृत योजनाओं का सोफ्टवेयर की मोनिटरिंग ।
23. ई-विधान का कार्य व मोनिटरिंग ।
24. राज्य वित्त आयोग के लिए सॉफ्टवेयर ।

3.3. जिला कार्यालय:

प्रदेश के सभी 10 गैर-जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है। जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं। जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

1. जिला योजना अधिकारी
2. साख योजना अधिकारी
3. सहायक अनुसंधान अधिकारी
4. सांख्यिकीय सहायक
5. वरिष्ठ सहायक (जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में कुल तीन पद)
6. आशुटंकक
7. लिपिक
8. चपड़ासी

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि, मुख्यमंत्री ग्राम पथ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा जिला ईनोवेशन फंड इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं। जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं। जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी है। प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उप-नियम 4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचना:

(i)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्य	कृपया मद् 'पृष्ठभूमि एवं परिचय' तथा 'संगठनात्मक ढांचा' का अवलोकन करें ।
(ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं ड्यूटी।	<p>सलाहकार (योजना) विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण सलाहकार (योजना) कार्य निष्पादन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार की सहायता करते हैं तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं ।</p> <p>संयुक्त निदेशक (योजना) संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं । वह सलाहकार (योजना) के साथ विभिन्न दायित्व निवारण एवं कार्य जैसे योजना प्रारूपण, कार्यान्वयन एवं समय-समय पर योजना आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं ।</p> <p>उप-निदेशक (योजना) सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना प्रारूपण, योजना कार्यान्वयन, योजना प्रारूपण, नाबाई, मूल्यांकन, जन-शक्ति एवं रोजगार, कम्प्यूटरीकरण, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, आर.एफ.डी., इत्यादि के नियन्त्रक हैं । समस्त उप-निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं ।</p> <p>अनुसंधान अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की सहायता करते हैं । सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को भेजी जाती हैं । जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मद्-3.3. "जिला कार्यालय" में किया गया है ।</p> <p>सहायक अनुसंधान अधिकारी विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>सांख्यिकीय सहायक विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>गणक विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं ।</p>

		<p>प्रोग्रामर प्रोग्रामर कम्प्यूटर कक्ष के प्रभारी हैं । वह योजना विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करना, इत्यादि में सहायता करते हैं ।</p> <p>कार्यक्रम योजना अधिकारी कार्यक्रम योजना अधिकारी विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करने में प्रोग्रामर की सहायता करते हैं ।</p> <p>संगणक संचालक गणक संचालक विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी/ प्रोग्रामर तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं ।</p> <p>अधीक्षक ग्रेड-1 अधीक्षक वर्ग-1 योजना विभाग के प्रशासनिक कक्ष के समस्त प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करते हैं । प्रशासन प्रभाग की सभी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग-11 अधीक्षक वर्ग-1 के माध्यम से उच्च स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>अधीक्षक ग्रेड-11 अधीक्षक ग्रेड-11 प्रशासन कक्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखता है, तथा प्रशासन कक्ष के सभी सहायक अपनी-अपनी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग-1 को आगामी निर्णय हेतु अधीक्षक वर्ग-11 के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को अधीक्षक वर्ग-11 के माध्यम से उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>लिपिक यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग-1 आहरण एवं विरतण अधिकारी / अधीक्षक वर्ग-11 द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं ।</p> <p>निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक ये कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप-निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं ।</p> <p>आशु-टंकक जिला योजना अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने / इत्यादि कार्यों के लिए कार्यरत हैं । जिला योजना अधिकारियों द्वारा सौंपे गए सभी प्रकार के कार्य करते हैं ।</p> <p>प्रतिलिपि यन्त्र चालक विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं ।</p>
--	--	--

		<p>चपड़ासी विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं ।</p> <p>चौकीदार विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखते हैं ।</p> <p>सफाई कर्मचारी विभाग के कमरों, वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनों की सफाई हेतु नियुक्त हैं ।</p>
(iii)	प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम	सलाहकार (योजना) विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित हैं । विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं । विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। विभाग की नस्तियां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है ।
(iv)	कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड	विभाग के भिन्न-2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।
(v)	नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं ।	<p>विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों-विनियमों, निर्देशों नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सी.सी.एस. लीव रूलज, 1972 2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.ए रूलज 3. एच.पी.एफ.आर रूलज 4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज 5. मैडिकल एटैन्डेंस सुविधा नियम 6. गृह निर्माण अग्रिम रूलज 7. यात्रा अवकाश रूलज 8. बजट मेनुअल 9. आफिस मेनुअल 10. पेंशन नियम 11. सामान्य भविष्य निधि नियम <p>निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विकेन्द्रीकृत नियोजन 2. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम 3. क्षेत्रीय विकास निधि योजना 4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना 5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना 6. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 7. बाहया सहायता परियोजना प्रभाग 8. ग्रामीण संरचना विकास निधि 9. जिला इनोवेटिव निधि (District Innovative Fund)

		अधिकारी/ कर्मचारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों जिन्हें योजना विभाग की वैबसाईट पर डाला गया है का प्रयोग कर सकते हैं । विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन जिसमें संगठनात्मक ढांचा भी दिया गया है को विभाग की वैबसाईट पर डाल दिया गया है
(vi)	दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों।	पंच-वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन, जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच-वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सूची, जिलावार त्रैमासिक 20-सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन रिपोर्ट एवं विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ।
(vii)	किसी नीति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो ।	विभाग की विभिन्न समितियों में जन-प्रतिनिधियों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है । गैर-सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की नीति-निर्धारण के लिए बहुमूल्य सुझाव देते हैं । इसके अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में भी जन-प्रतिनिधि बैठकों के माध्यमों से भाग लेते हैं । हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तर की योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए समस्त विधायकों एवं राज्य से सम्बन्धित सांसदों के साथ बैठकों के माध्यम से विचार-विमर्श किया जाता है । उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के नीति-निर्धारण, योजनाओं के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।
(viii)	बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो।	विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:- <ol style="list-style-type: none"> 1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड । 2. राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तरीय योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियां । इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति लोग ले सकते हैं ।
(ix)	विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका ।	कृपया मद्- '2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' का अवलोकन करें
(x)	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली ।	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं । विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले वेतन एवं भत्तों का विवरण कृपया मद् '2.योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' पर दिया गया है ।
(xi)	प्रत्येक एजेंन्सी का बजट आवंटन जिसमें सभी योजनाओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं	योजना विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना स्कीमों एवं विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपायुक्तों को धन का आवंटन प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर किया जाता है । प्रभाग वार उद्देश्य, कार्यक्रम,

	आहरण की रिपोर्ट जो बनती है ।	आबंटन, व्यय, इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में किया जा चुका है ।
(xii)	उपदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभभोगियों का विवरण धनराशि सहित ।	विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जाता है ।
(xiii)	रियायतों के पात्रों का विवरण ।	लागू नहीं है ।
(xiv)	इलैक्ट्रॉनिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे ।	विभाग की वेबसाईट बनाई गई है । विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वेबसाईट www.hp_planning.nic.in पर उपलब्ध है।
(xv)	लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु लाईब्रेरी या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो ।	विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है ।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के पद-नाम एवं विवरण।	सूचना नीचे अलग से दी गई है ।
(xvii)	ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो ।	लागू नहीं है ।

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी का विवरण ।

क्रम सं०	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
1.	2.	3.	4.	5.

(क) सचिवालय स्तर पर

1.	श्री रिखी राम लोक सूचना अधिकारी	अवर-सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2628504	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
2.	डॉ० श्रीकान्त बाल्दी अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त मुख्य सचिव, (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2. दूरभाष नं. 2620043	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग

अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 27-06-2009 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 (एक्ट नं. 22 ऑफ 2005) के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।

(ख) राज्य स्तर पर

1.	श्री हरकृष्ण सिंह, लोक सूचना अधिकारी	अनुसंधान अधिकारी (प्रशासन)	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2629471	राज्य स्तर पर योजना विभाग
2.	श्री दिवान चन्द सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक श्रेणी-1	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2880840	राज्य स्तर पर योजना विभाग
3.	श्री अक्षय सूद, अपील प्राधिकारी	सलाहकार (योजना)	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2621698	राज्य स्तर पर योजना विभाग

अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।

क्रम सं०	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
1.	2.	3.	4.	5.
(ग) जिला स्तर पर				
1.	श्री तारा चन्द चौहान, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय शिमला दूरभाष नं.0177-2808399	सम्बन्धित जिला
2.	श्री प्रदीप कुमार पुर्ला, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय सोलन दूरभाष नं.01792-220697	सम्बन्धित जिला
3.	श्री अनुज कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय जिला सिरमौर स्थित नाहन दूरभाष नं.01702-223008	सम्बन्धित जिला
4.	श्री गौतम चन्द, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय चम्बा दूरभाष नं.01975-226057	सम्बन्धित जिला
5.	श्री रविन्द्र कटोच, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला दूरभाष नं. 01892-223316	सम्बन्धित जिला
6.	श्री कुलदीप सिंह लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय मण्डी दूरभाष नं.01905-225212	सम्बन्धित जिला
7.	श्री विनोद कुमार लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय ऊना दूरभाष नं.01899-226166	सम्बन्धित जिला
8.	श्रीमती मुक्ता ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर दूरभाष नं.01978-222668	सम्बन्धित जिला
9.	श्री तेज सिंह ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कुल्लू दूरभाष नं.01902-222873	सम्बन्धित जिला
10	श्री राजीव कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर दूरभाष नं. 01972-222702	सम्बन्धित जिला
अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।				



ANNUAL

GENERAL ADMINISTRATIVE

REPORT

2015-2016

Planning Department
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002

CONTENTS

Sr. No.	Subject	Page No.
1.	BACKGROUND AND INTRODUCTION	1
2.	STAFF POSITION – PLANNING DEPARTMENT	1-2
3.	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	2
3.1.	STATE PLANNING BOARD	2-4
3.2.	HEADQUARTERS	4
	(I) Administration Division	5
	(II) Plan Formulation Division	5
	(III) Plan Implementation Division	6-7
	(IV) Backward Area Sub Plan (BASP) Division	7-9
	(V) Regional & District Planning Division	9-14
	(VI) Manpower and Employment Division	14-15
	(VII) Externally Aided Project (EAP)/Innovation Division	15-20
	(VIII) Skill Development	21-22
	(IX) NABARD – RIDF Division	22-25
	(X) 20-Point Programme-2006 Division	25-29
	(XI) Railway Division	29-31
	(XII) Evaluation Division	31
	(XIII) MLA Priority Division	31-32
	(XIV) Computerization Division	32-33
3.3.	DISTRICT OFFICES	33-34
4.	INFORMATION OF RTI ACT-2005	35-42

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, Implementations of scheme under RIDF funded by NABARD, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, works related to construction of rail lines and allied works in HP, etc.

2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:

Sr. No.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Chairman Employment Generation & Resources mobilization	1	1	0
2.	Chairman (20 Point Programme)	1	1	0
3.	Dy. Chairman, State Planning Board	1	1	0
4.	Adviser (Planning)	1	1	0
5.	Joint Director	1	1	0
6.	Deputy Directors	6	6	0
7.	Research Officers / District Planning Officers	20	19	1
8.	Credit Planning Officers	10	10	0
9.	Assistant Research Officer	17	13	4
10.	Statistical Assistant	21	10	11
11.	Computer	6	3	3
12.	System Analyst	1	0	1
13.	Programmer	1	1	0
14.	Programme Planning Officer	2	2	0
15.	Computer Operators	1	0	1
16.	Private Secretary	1	0	1
17.	Personal Assistant	2	2	0
18.	Senior Scale Stenographer	1	1	0
19.	Junior Scale Stenos	6	5	1
20.	Steno-Typists	3	3	0
21.	Junior Office Assistant(9 against Steno & 2 against Clerk)	11	0	11
22.	Superintendent Grade-I.	1	1	0
23.	Superintendent Grade-II.	1	1	0
24.	Senior Assistant	17	17	0
25.	Junior Assistant	1	1	0

1.	2.	3.	4.	5.
26.	Clerk	13	11	2
27.	DMO	1	1	0
28.	Driver	5	5	0
29.	Peons	20	20	0
30.	Chowkidar	1	1	0
31.	Frash	1	1	0
32.	Jamadar	1	1	0
33.	Sweeper	1	1	0
	TOTAL	177	141	36

* : Pay and allowances of Deputy Chairman, State Planning Board and Chairman, Twenty Point Programme are decided by the State Government at the time of their nomination.

3. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of Planning Department consists of following three tiers:-

- 3.1. State Planning Board.
- 3.2. Headquarters.
- 3.3. District Offices.

3.1. STATE PLANNING BOARD:

State Planning Board was reconstituted by nominating official and non-official members on 12th Feb., 2013.

I. Composition:

(i) **Chairman:** Chief Minister

(ii) **Non-official Members:**

1. All Cabinet Ministers
2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha)
(Notified separately)
3. One Representative each of Farmers,
Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women
(Notified separately)
4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs
(Notified separately)
5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments
(Notified separately)

(iii) Official Members:

1. Chief Secretary,
2. All Administrative Secretaries
3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh

(iv) Ex-officio Members:

1. President, HP Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh

(v) Member Secretary : Adviser (Planning)

II. Terms of Appointment: As may be prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

III. Headquarters of the Board:

The Headquarters of the State Planning Board will be in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

IV. Functions:

The functions of the Board are as under:-

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as a whole as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the five year plans and annual plans and evolve a short term strategy (Five Year Plan) for planned development after examination of different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view Social justice.
- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.

- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.
- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the extent to which some of the identified on-going programmes of projects would need to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.
- To collect and analyse information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.
- To highlight difficulties being faced in the implementation of the plan schemes at district level and suggestions to overcome them.
- To evaluate various projects/corporations according to the directions of Chairman.

State Annual Plan size amounting to Rs. 4800.00 crore for the year 2015-16 was discussed and approved.

3.2. HEADQUARTERS:

According to the rule of business, following is the structure of Planning Department for transaction of official business:-

1.	Minister – Incharge	Hon’ble Chief Minister, HP.
2.	Administrative Secretary	Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.
3.	Head of Department	Adviser (Planning) HP.

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation, Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning, Backward Area Sub-Plan, Railways and Twenty Point Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. A Joint Director / Deputy Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. are given below:-

I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Administration Division functions under the control of Joint Director (Administration).

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management and other related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. During the year under report, the Administrative Division of the department has performed the above mentioned works / duties.

II. PLAN FORMULATION DIVISION:

1. Preparation of State's Draft Annual Plan (2016-17) Document

- ◆ A series of meetings with concerned departments were conveyed in the month of October, 2015 under the Chairmanship of Additional Chief Secretary (Planning) to the Govt. of H.P. to discuss the plan priorities of the departments for Annual Plan (2016-17).
- ◆ The guidelines for preparation of detailed Annual Plan document for the year 2016-17 were issued to all concerned departments requesting them to send detailed Plan proposals.
- ◆ On scrutiny of departmental proposals and analysis of data collected from departments for various heads of development, a Draft Annual Plan (2016-17) document was prepared by proposing a plan size of Rs. 5200 crore for the meeting of State Planning Board for its approval which was held on 15th February, 2016. The same has also been passed by the State Legislature. The Sector –wise break up is given as under:-

(Rs. in Crore)		
Sr. No.	Sector	Annual Plan (2016-17) Proposed Outlay
1.	Agriculture and Allied Activities	585.71
2.	Rural Development	109.67
3.	Special Area Programme	21.00
4.	Irrigation & Flood Control	410.25
5.	Energy	682.70
6.	Industry and Minerals	110.86
7.	Transport & Communication	979.04
8.	Science, Technology & Environment	17.02
9.	General Economic Services	212.67
10.	Social Services	1991.97
11.	General Services	79.11
	Total :	5200.00

III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

1. This division examines proposals of diversion and re-appropriation received from different departments thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/re-appropriations are permitted.
2. Additionalities are provided from those Schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.
3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off cases promptly.
4. During the period under report, proposals on diversions and re-appropriations were called from all departments through concerned Administrative Departments (ADs) in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors for scrutiny and examination.
5. During the year under report, 413 references from different departments for obtaining advice on their departmental files had been received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.
6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget through software for this purpose.

In addition to this, following activities were undertaken by the Plan Implementation during the period under reference:-

1. Review of Quarterly Progress Reports/ Quarterly Review Meetings:

This division has been entrusted with the responsibility to monitor the financial and physical progress achieved under different heads of development under Plan.

Following quarter-wise norms for Plan expenditure under various Head of Developments have been fixed:-

Quarters	Plan Expenditure (%)
First	20%
Second	25%
Third	30%
Fourth	25%
Total	100%

2. Budget Assurances:

Review meetings of implementation of budget assurances for the year 2015-16 were held on 9th June, 2015 and 18th November, 2015 under the Chairmanship of Chief Secretary for timely implementation of budget assurances by the concerned department for 2015-16. The information from nodal departments was collected and compiled.

3. Pending issues with Government of India:

Pending issues with Government of India is a compilation of the important matters / issues which are pending with GoI. Important issues were uploaded in software developed by Cabinet Secretariat regularly for follow up through e-Samiksha.

4. Centrally Sponsored Schemes:

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress. This Division had advised the implementing departments on financial implications of CSS and their counterpart state provisions in plan.

5. United Nation Development Programme:

As per the action plan of the Human Development Towards Bridging Inequalities (HDBI) Project, four studies were outsourced to independent agencies:-

1. Study to assess the Human Development for inclusive and sustainable Green Growth in Himachal Pradesh.
2. Study to explore the causes of Declining Sex Ratio in the age group of 0-6 years.
3. Financial Report Card on Human Development in Himachal Pradesh.
4. Study to assess the Socio-Economic Status of Gujjars in Himachal Pradesh.

Another set of four TORs for conducting four more studies is being prepared as per the action plan.

IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP) DIVISION:

State Government has notified the Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of sub-regional disparities in development on various parameters. During 1995-96, H.P. Government had framed a comprehensive policy for

backward areas which is being implemented since then in Himachal Pradesh. The salient features of the policy are as under:-

(a) The Backward Area Sub Plan comprises three categories:-

(i) Backward Blocks: All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 304 Backward Panchayats.

(ii) Contiguous Pockets: Group of five or more declared backward panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward panchayats in the State.

(iii) Dispersed Panchayats: Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 109 Dispersed Panchayats in the State.

- (b) Funds are earmarked for Backward Area Sub-Plan (BASP) under selected thirteen heads of development.
- (c) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted in these areas.
- (d) The allocation of funds to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.
- (e) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions / re-appropriation with the approval of DPDC. Administrative and financial delegation has been given to the districts.
- (f) The Planning Department controls the Capital Heads only under BASP and Revenue Heads are operated by other concerned Departments.

There are 546 Panchayats declared as backward out of 3243 Panchayats in the State. A single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has been created for separate budgetary arrangements for BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district. An outlay of Rs. 43 crore was kept for capital works under BASP for the year 2015-16 under Plan and an outlay of Rs. 49.50 crore has been provided under capital section for the year 2016-17 under BASP (Plan).

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2015-16 outlay / expenditure of Capital Section and numbers of Backward declared Panchayats are as under:-

(Rs. in lakh)

Sr. No.	District	Number of Backward Declared Panchayats	BASP BUDGET & EXPENDITURE 2015-16 (Capital Section)	
			Budget (Plan)	Tentative Expenditure (Plan)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bilaspur	15	118.13	118.13
2.	Chamba	159	1252.20	1252.20
3.	Hamirpur	13	102.38	102.38
4.	Kangra	17	133.88	133.88
5.	Kullu	79	622.16	622.16
6.	Mandi	149	1173.44	1173.44
7.	Shimla	83	653.66	653.66
8.	Sirmour	25	196.89	196.89
9.	Solan	3	23.63	23.63
10.	Una	3	23.63	23.63
	TOTAL	546	4300.00	4300.00

V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION:

For the implementation and monitoring of various Decentralized Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up in the Planning Department. Descriptions of the various activities of Decentralized Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure people's effective participation towards fulfilling their developmental needs in terms of infrastructure at the grass root level as well as to supplement Government's efforts / resources, the programme- Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced in the State from 1991-92. Under this programme, people's participation is on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited in the Bank / Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. A budget provision of Rs.17.63 crore has been kept for the financial year 2016-17 under this scheme.

Main Salient features of this programme are given below:

1. In urban areas, cost sharing ratio between the Community and the Govt. is 50:50. While the case of Government assets like school buildings, health and veterinary institutions, construction of drinking water supply schemes and sewerage schemes and installation of hand pumps where sharing pattern is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. But, this facility is for community and not for any family or a person/ individual.
2. In rural areas, cost sharing is in the ratio of 25:75 between Community and the Government. However, in the case of tribal areas, panchayats declared as backward and areas predominantly inhabited by SCs, STs and OBCs, cost sharing is in the ratio of 15:85 between Community and the Govt.
3. Any individual can also get a public asset constructed either as a purely philanthropic nature or to commemorate the memory of his/her ancestors by sharing 50 percent cost of the work.
4. Works are required to be completed within one year from the date of sanction.
5. Community and the Government are liable to contribute 10% funds additionally of the cost of work for the maintenance of assets which are to be maintained.
6. All works beyond the estimated cost of Rs. 5.00 lakh are got executed through the Government Departments and not by the societies/ local committees.
7. The execution of works up to Rs. 5.00 lakh are ensured under the supervision of the Assistant Engineer/ Junior Engineer of the Rural Development Department and the measurement of the work of each work done is entered in the measurement book of concerned Junior Engineer/ Technical Assistant of the area.

The projects/assets of the following nature can be sanctioned under this programme:

- i) Construction of buildings of Govt. Educational Institutions.
- ii) Construction of multipurpose community/public assets.
- iii) Construction of motor-able roads and rope-ways.
- iv) Construction of irrigation schemes/drinking water schemes/ installation of hand-pumps.
- v) Construction of buildings of public health services.
- vi) Provision of important missing links; such as three phases transmission lines, transformers, X-Ray plants, Ambulances etc.
- vii) Setting up of Go-Sadan for stray animals.

2. Sectoral Decentralized Planning (SDP):

Sectoral Decentralized Planning Programme was started in the State during 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds is made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to the area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links occurring in the budgetary allocations are mainly taken up for implementation. A budget provision of Rs. 53.13 crore has been kept for the scheme during 2016-17.

Salient features of this programme are given below:

1. Under this programme schemes are sanctioned after seeking prior approval of the District-Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
2. Only those developmental works should be considered for execution whose estimates and designs are technically approved by the competent Technical Authority / Personnel of Govt./ Semi Govt./ Govt. undertakings within the delegated technical powers. The Technical Officer / Authority, who can technically approve the estimates is competent to assess the work and authorize disbursement of payments.
3. The Deputy Commissioners are competent to accord A/A & E/S under SDP subject to the availability of budgetary provisions under selected heads of development and fulfillment of other requirements.
4. Under SDP, neither recurring expenditure / liability can be created nor bunching of sanctions and phasing of work beyond one financial year is allowed. Also, revision of estimates and revision of sanctions are not allowed.
5. The developmental works to be executed under SDP should lead to a community benefit which consist of at least five families. No works benefiting individuals/single family can be taken up under this programme.
6. Under SDP works sanctioned are required to be completed within the same financial year or within one year from the date of sanction. The phasing of work and financial sanction for more than one financial year is not permissible.

3. Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

To strengthen the decentralization process, the State Government has started a scheme “**Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana**” from 1999-2000. This scheme was discontinued in the year, 2001-2002 but restarted in 2003-04 with a budget provision of Rs. 24.00 lakh per constituency. The State Government has been

increasing budget provision under this scheme from year to year and this provision has been increased to Rs. 1.00 crore in 2016-17- per constituency.

The implementation and monitoring of the scheme is done with the direct and active involvement of MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state. A budget provision of Rs. 68.00 crore has been kept for this scheme during 2016-17.

The scheme/works of the following nature can be under-taken under this programme:-

1. Construction of rooms in Educational Institutions.
2. Construction of Ayurvedic Dispensaries, Veterinary Institutions & Health Sub-Centres etc.
3. Installation of Hand Pumps.
4. Construction of Motorable / Jeepable link roads in rural areas.
5. Construction of Community Bhawans which can be used for different institution or celebration at village level.
6. Provision of apparatus in Health Institutions which are not already available there such as X-Ray Plants, Ultra Sound machines and ECG machine etc.
7. Purchase of Ambulance for Health Institutions subject to the condition that concerned institution / department should have full provision for recurring expenditure on it. .
8. Construction of small bridge / culverts on rural roads and foot bridges on different khads, streams etc..
9. Construction of metalled rural paths (concrete based or black topped), on which two wheeler vehicles could be plied.
10. Water supply schemes for left out hamlets where there is necessity of public taps by providing additional pipes.
11. Irrigation schemes at local level.
12. Construction of Toilets in schools.
13. Electrification of left out houses in remote / rural areas (LT Extensions).
14. Maintenance of school buildings and construction of school play grounds.
15. Construction and maintenances of Bus Stands.
16. In rural and urban areas, maintenance of Government buildings such as Ayurvedic dispensaries, Veterinary dispensaries, Health Institutions, Community Bhawan, Education Institutions etc.
17. Repair and maintenance of roads in rural and urban areas.

4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY):

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca. Besides this, construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Government has permitted construction of jeepable / tractorable link roads upto 2.00 km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this scheme was discontinued and was restarted in 2008-09. During 2015-16, a provision of Rs 5.50 crore was made to Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts under this programme. A budget provision of Rs. 5.50crore has been made for the scheme during 2016-17.

Main Salient features of this programme are given below:

1. Under this scheme, allocation of funds to the districts is made on the basis of total rural population and total number of inhabited villages in the district on 50:50 ratios as per 1991 census.
2. Under the programme neither recurring expenditure / liability can be created nor construction of kutchha path is allowed.
3. The works executed out of this scheme fund will be maintained by the concerned Panchayats from their own resources / revenue. Affidavit to this effect is to be obtained from the concerned Panchayats before the sanction of work.
4. Only those developmental works should be considered for execution where estimates and designs are technically approved by the Rural Development Department J.E./A.E./XEN according to their technical powers.
5. Under this programme the schemes / works to be implemented are to be approved by the District Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
6. The works are to be completed within the sanctioned amount and no additional / revised sanction of funds will be allowed.
7. The road alignment should be got approved from the PWD, so that the Jeepable roads can be later on upgraded into normal Bus roads, as per the PWD norms.

5. Member Of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):

Member of Parliament Local Area Development Scheme was started in 1993-94 by Govt. of India. Under this scheme, MPs recommend works of developmental nature to be taken up in their constituencies and also of national priorities viz. drinking water, primary education, public health, sanitation and roads, etc. The sanction orders are issued by the Deputy Commissioner. Rs 5.00 crore per MP per annum is allowed to be released by Government of India for various works on the recommendations of the MP.

Following Sector schemes are eligible under MPLADS.

1. Drinking Water Facility.
2. Education.
3. Electricity Facility.
4. Health & Family Welfare.
5. Irrigation Facilities.
6. Non Conventional Energy Sources.
7. Other Public Facilities.
8. Railways, Roads ,Pathways and Bridges.
9. Sanitation and Public Health.
10. Sports.
11. Works relating to Animal Husbandry, Dairy and Fisheries.
12. Works relating to Agriculture.
13. Works relating to Cluster Development for Handloom Weavers.
14. Works relating to Urban Development.

VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION:

The following main tasks have been assigned and performed by Manpower and Employment Division

i) Fact Book On Manpower.

Manpower and Employment Planning is an integral part of development planning. It is imperative to build up a manpower information system at State level so as to cover various aspects of technical and educated manpower. Keeping in view the importance of this information system, Manpower Division of Planning Department, H.P. brings out a comprehensive compendium of manpower information and is assigned with the work relating to the collection, compilation and tabulation of data on manpower and brings out a publication “**Fact Book on Manpower**”.

The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodic follow-up and revision. In this publication, data with statistical tables regarding population, manpower, employment, unemployment, training and health institutions, directly related to the training and employment is compiled.

ii) Employment Market Information Programme.

Under the Employment Market Information Programme, data is collected by the Manpower division from all the District/Regional Employment Exchanges of the State which are brought out annually in a report titled the **Quick Estimates of Employment in the Organized Sector**". The data presented in this report covers the employment status of public and private sector establishments which existed at the end of each quarter.

iii) State Government Employment Plan.

The information on employment generation from the concerned departments on a monthly basis was collected to assess the position of employment generation in all the three sectors i.e. Government, Organised & Self Employment and Wage Employment. The progress of employment generation in terms of physical achievements is reviewed regularly. The said report is being compiled and thereafter publication work will be compiled.

VII. EXTERNALLY AIDED PROJECT (EAP) DIVISION:

Externally Aided Project (EAP) Division in the Planning Department has been assigned the task of analyzing the project proposals of different departments submitted for seeking funding from external agencies. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the physical and financial progress of all the EAPs being implemented in the State. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in respect of EAPs. Administrative Secretary (Planning), Government of HP has been declared as State Nodal Officer for all Externally Aided Projects (EAPs) in Himachal Pradesh. Financial and physical progress of ongoing EAPs are obtained from implementing agencies on quarterly basis for ensuring its smooth implementation. Advices are given to the different departments in the context of Externally Aided Project proposals.

The Guidelines received from various external aid agencies like World Bank, ADB, JICA, GIZ, AFD & KfW, NDB etc. and Government of India were circulated to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments were analyzed / appraised in the division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial, Social & Economic parameters.

Externally Aided Projects implemented in Himachal Pradesh during 2015-16:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Name of the Project	Donor Agency	Nodal Department	Total Cost	Project Period	
					Starting Date	Concluding Date
1	2	3	4	5	6	7
1	HP State Road Project	World Bank	Public Works	1802.84	Jul-07	Jun-16
2	HP Mid Himalayan Watershed Development Project	World Bank	Forest	598.75	Oct-05	Mar-16
3	Swan River Integrated Watershed Management Project	JICA	Forest	227.31	Mar-06	Mar-16
4	Infrastructure Development Investment Programme for Tourism in HP	ADB	Tourism	428.22	2010	2020
5	HP Crop Diversification Promotion Project	JICA	Agriculture	321	Jul-11	Mar-18
6	HP Clean Energy Transmission Investment Program	ADB	Power	1927	Jan-12	Dec-18
7	Power Projects	ADB	Power	6673.87	Nov-08	Jun-16
Total				11978.77		

Status of recently examined Externally Aided Projects:-

Every year many project proposals of various departments of State Government are examined at State level. These projects are further posed by concerned department to GoI for approval and further posing them to donor agencies. Status of some of these projects started during the year or to be started in near future is as under:

1. Himachal Pradesh Horticulture Development Project: With an estimated cost of Rs. 1115.00 crore, this project is being implemented with the assistance of World Bank and is in its early stage of implementation. Under this project, Horticulture Sector will be modernized through application of new technologies to strengthen productive capacities and Horticulture will be diversified & made climate resilient. Agri-enterprises will be developed for value addition & access to market will be strengthened.
2. Himachal Pradesh Skill Development Project: This project amounting to Rs. 640.00 crores has been cleared by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Government of India in its screening committee meeting held on 5th Oct, 2015 for posing it to ADB funding. Overall goal of this project is to improve employment and livelihood development opportunities

for the youth of Himachal Pradesh which will result in greater access to demand-driven, good quality skills training leading to higher formal wage employment or improved self-employment/livelihoods.

3. Lift Water Supply Scheme to Shimla town from Kol Dam reservoir: This LWSS alongwith rejuvenation & improvement of WSS & Sewerage System of Shimla town amounting to Rs. 643.05 crore has been principally approved by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Government of India in its screening committee meeting held on 29.6.2015 for IBRD (WB) funding.
4. Himachal Pradesh Forest Eco System Climate Proofing Project: With the financial/technical co-operation of KfW (German Bank), this project amounting to Rs. 286.00 crores is being started in Chamba & Kangra districts from 2015-16 for a period of seven years. The objective of this project is to manage forest ecosystems in the State in a way that risk of climate change and its negative impacts are minimized and mitigated resulting in sustained income in rural areas from sustainable management of natural resources.
5. Himachal Pradesh State Roads Project- Phase-II: The second phase of HP State Roads Project worth Rs. 3200.00 crore has been approved in principle by Ministry of Finance, GoI for funding under EAPs from World Bank. The 2nd Phase of HPSRP will further augment & strengthen the core road network so as to be at par with National Highway Standards & level of service.

Some other projects especially of power, urban development, forest sectors etc. are also in the pipeline for negotiations with the GoI and donor agencies at various stages.

INNOVATION AT STATE LEVEL:

With the pledge to transform Himachal Pradesh into an Innovative State and to promote innovation through sharing of experiences across various sectors within State and to encourage departments to try new initiatives, following initiatives are being taken by State Government:

I. Constitution of State Innovation Council (SInC): State Innovation council was constituted by the Government of Himachal Pradesh on 7th January, 2011 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, giving representation to Administrative Secretaries of the concerned departments and Vice-Chancellors of the Universities in the State. The scope of SInC has been enlarged on 4th August, 2014 and subsequently on 31st December, 2015 by bringing in a few more institutes viz. NIT Hamirpur, Central University and IIT Mandi, HP State Council for Science, Technology & Environment alongwith Industries Department within the purview of SInC.

II. Promoting Innovation in the State: Himachal Pradesh Government is committed to promote and foster new & innovative ideas at the State level. In the past steps were taken by various departments of State Government which have further paved the way for the promotion of innovative ideas at State level. Some of these innovative ideas are construction of Plastic roads using plastic waste, improving environment by way of reduction of gases/pollution through replacement of ordinary bulbs by CFL/LEDs, use of Embryo Transfer Technology to improve quality of livestock & milk production in the State, Web based GIS Portal by generating digital elevation maps from Satellite imageries to track the entire Hydro Power Scenario in the State and automation of records like automatic mutation, integration between textual & spatial record, inter-connectivity between revenue & registration records etc. with a view to usher a updated system of land records.

III. State Innovation Fund: With a view to promote innovation by encouraging departments to try new initiatives, State Innovation fund was instituted by State Government in 2013-14. The guidelines for the implementation of projects under this fund had also been notified and innovative projects of various departments are being funded subject to the availability of funds under this Fund. During the last two years, five schemes/projects of various Departments amounting to about Rs. 1.39 crore have been funded from State Innovation Fund (SInF).

For the year 2015-16, a budgetary provision of Rs. 1.10 crore was made and following four innovative projects of different departments were approved for funding from State Innovation Fund:

- 1. Digitization of Himachal books in CSK HPKV, Palampur library:** An amount of **Rs. 8.00 lakh** to CSK HP Krishi Vishvavidyalya, Palampur has been approved on 4th September, 2015 for implementation of Library and Information Management System project which would allow online access to researchers, teachers and students of Himachal. Himachal Books including rare and pictorial books would be digitized and made available with open access.
- 2. Online Planning permission-Web Portal Project of TCP:** The project aims at developing Web portal, a robust system of MIS for online Planning permission with a view to ease out applicants from manually applying for Planning permission. It will also provide online registration and licensing to builder and private professionals. An amount of **Rs.54.00 lakh** has been approved from SInF on 4th September, 2015 to State Town and Country Planning Department for implementing the said project. After developing, hosting & training of pilot users, this application has been inaugurated by Hon'ble Chief Minister in January, 2016. 3 Field offices have implemented the online application system & remaining 12 field offices of TCP are likely to be implemented by 31st March, 2016.

3. **Digitization of Himachal Pradesh Secretariat Library:** The project aims at preservation of all the books and the administrative record, easy accessibility and availability of record to the end users and enabling the Government to reduce manual processes and increase productivity with the help of new technology. For this purpose a web enabled Documents Archival and Retrieval Information Management System (DMS) has been proposed which will work as digital library accessible to both internal and external users. An amount of **Rs.19.30 lakh** has been approved from SInF on 6th February, 2016 to Secretariat Administration Department for implementing the said project.
4. **Development of Online Inventory Application for Medicines/Semen Straws:** The project aims at development of on-line application for Inventory of Medicines/Semen Straws through Aryabhata Geo-informatics & Space Application Centre - AGiSAC and is to be used by district medicine pool store, sperm station and semen Banks for efficient maintenance of records and for monitoring & regulation of demand & supply in veterinary institutions with a view to ensure efficient utilization of resources. An amount of **Rs. 4.50 lakh** has been approved for funding from State Innovation Fund on 26th February, 2016.

IV. Innovation Award Scheme: The State Government had decided to institute awards for Government Departments, Local Governments, Community Development Societies, and Public Sector Units/Autonomous Bodies under Government, NGOs and Individuals for best innovation practices. For this purpose, the detailed scheme viz. **“Himachal Pradesh State Innovation Award Scheme – 2014-15** was started and six sectors namely viz. Agriculture/Horticulture, Academic, Food Processing & Manufacturing, Social Development, Tourism and Government Sectors were identified, in the first instance, for awarding the best innovation practices.

Award winning Innovations for 2014-15

27 proposals were received by the State Innovation Council under the said award scheme for 2014-15 and it has approved awards in three sectors viz. agriculture & horticulture, academic sector and social development sector in its meeting held on 9th December, 2015.

The innovation **Localized Generic para pheromone based bottle trap effective against fruit flies** developed by scientists Dr. P.K. Mehta, Dr. Pankaj Sood & Dr. C.S Prabhakar of Department of Entomology of CSK, HP KVV, Palampur has been approved for award in the agriculture & horticulture sector. This bottle trap will help the farmers in saving their crops against the attack of fruit flies without using chemicals with a little cost of about Rs. 100 per trap.

Under academic sector, हिमाचल प्रदेश के जिलों के लिए भूकम्प प्रतिरोधी गैर इंजिनियरिंग भवन निर्माण मार्ग निर्देशिका prepared by Dr. Hemant Kumar Vinayak, Assistant Professor (Civil Engineering), NIT Hamirpur was approved for award. These are non-engineering specific guidelines prepared for earthquake safe construction and would assist the masons and other skilled/semi-skilled workers in construction work. These guidelines are helpful in the context of HP where most of the area falls under seismic zone- IV & V.

The Council also approved proposal of NGO- Social Awareness Through Human Involvement (SATHI) for developing a **Low Cost Bio-Sand Filter** - a cost effective technology for domestic water filtration- in Social Development Sector. This technology has resulted in a significant reduction in the rate of water borne diseases in certain rural pockets of Sirmaur district.

The awards under HP State Innovation Award Scheme for 2014-15 has been conferred by Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh to these awardees in the State level function held on 15th April, 2016 on the eve of Himachal Day.

Results Framework Document -Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) in Himachal Pradesh

Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) is a system to both “evaluate” and “monitor” the performance of Government departments. Under PMES each department is required to prepare a Results-Framework Document (RFD).

RFD provides a summary of the most important results that a department expects to achieve during the financial year. This document has two main purposes: (a) shift the focus of the department from process-orientation to results-orientation, and (b) provide an objective and fair basis to evaluate department's overall performance at the end of the year.

RFD in the State:

To bring more transparency and accountability in government functioning, the HP State Government has adopted Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) by preparing Results Framework Document for all Government Departments/Boards/ Corporations etc. Under this system, all Government Department/Organizations are required to prepare a Results Framework Document (RFD) for their department each year with a view to ensure that the agreed objective, policies and programmes are achieved in a time bound manner. This program has been started by the State Government from 2011-12 and the Planning Department is acting as Nodal Department for ensuring implementation of PMES at State level.

At the beginning of financial year, guidelines for all the departments are prepared and issued by Planning Department to help the department(s) to prepare Results-Framework Documents (RFD) consistent with these guidelines. Based on the budgetary allocations for a particular year, draft RFD is prepared and submitted

online by concerned departments through RFMS software on or before a deadline. A preliminary review of these draft RFDs is done at State level through identified and trained Resource Persons and feedback is provided to the departments concerned. Departments are allowed to incorporate the comments/ suggestions of the preliminary review. After the final review of these RFDs at State level by Planning Department, the final versions of all RFDs are uploaded on the websites of the respective Department. All these activities are to be completed within a fixed time schedule which is circulated to them at the start of this whole process. At the end of the financial year, all Departments are required to submit the achievements for the particular year so as to compare it with the fixed targets and determine the composite score. This Composite Score reflects the degree to which the department was able to achieve the promised results. The Composite Scores in respect of all the departments are subsequently on the website of Planning Department.

During 2015-16, 44 Departments, Corporations, Boards have prepared RFD in respect of their organizations/institutions.

VIII. SKILL Development :

The work relating to Skill Development is being coordinated by the Planning Department as Administrative Department in the State. During the year 2015-16 following activities has been taken for implementation of Skill Development activities in the State:

- Skill Development Annual Plan 2015-16 was prepared, including the proposals of concerned Departments.
- Preliminary Project report (PPR) for “Himachal Pradesh Skill Development Project” amounting to Rs. 640 crore had been prepared for external assistance through Asian Development Bank.
- All the correspondence with Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, GOI were made for obtaining the approval of Himachal Pradesh Skill Development Project” amounting to Rs. 640 crore and same has been approved by DEA, GOI.
- Memorandum for constitution of Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam had been prepared. After the approval of CMM, notification for the constitution of Nigam issued.
- Time to time meetings with consultants of Asian Development Bank and line departments were organized under the Chairmanship of Additional Chief Secretary (Planning) / Adviser (Planning) / MD (HPKVN) during the year 2015-16.
- Final draft of Skill Development Policy for the State of Himachal Pradesh was prepared with the help of line departments.
- Planning Department had organized two days workshop with the collaboration of National Skill Development Agency (NSDA), New Delhi under India-EU Project on **Competence Based Curriculum**

Development, Training Needs Analysis and Training of Trainers on 29th- 30th September, 2015 at HIPA in Shimla.

- H.P. Kaushal Vikas Nigam had organized MOU signing ceremony with 18 SSCs in the presence of Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh in the month of February , 2016 with the collaboration of HPKVN to strengthen the ties with Industries for the success of Skill Training Programme and thereafter to ensure the placement of Skilled trainees.

IX. NABARD-RIDF DIVISION:

Rural Infrastructure Development Fund Programmes under NABARD extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards, has been implemented in the State since **RIDF-I (1995-96)**. This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX & XXI** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects, and later on, loan assistance was provided **upto 90% / 95%** for new eligible projects under successive RIDF tranches.

2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Government has either got projects approved or has posed projects to NABARD funding are :-

1. Construction of Roads and Bridges.
2. Construction of Irrigation schemes.
3. Construction of Flood Protection Works.
4. Construction of Primary School Buildings (under SBVSY).
5. Construction of Drinking Water Supply Schemes.
6. Establishment of Citizen Information Centres.
7. E-Governance.
8. Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
9. Watershed Development Projects.
10. Strengthening of Animal Health Infrastructure.
11. Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
12. Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.
13. Construction of CA Stores.

3. The NABARD has sanctioned total loan assistance of Rs. 5798 crore in favour of Himachal Pradesh upto 31st March, 2016. The tranche-wise break-up is given as under :-

(Rs. in crore)

Sr. No	Tranche No.	Duration/Phasing Period	No. of Schemes Sanctioned	NABARD Loan Sanctioned	State Contribution	Total Amount Sanctioned
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-1	223	454.13	36.98	491.11
16	RIDF-XVI	2010-11 TO 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
17	RIDF-XVII	2011-12 TO 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
18	RIDF-XVIII	2012-13 TO 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
19	RIDF-XIX	2013-14 TO 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
20	RIDF-XX	2014-15 TO 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
21	RIDF-XXI	2015-16 TO 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
	GRAND TOTAL (I TO XXI		5271	5797.55	560.45	6358.00

4. Against the above sanctioned NABARD loan assistance of Rs. 5798 crore, the State Government has received Rs. 3965 crore upto 31.03.2016 from the

NABARD. The Year-wise detail of reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2015-16 is as under:-

Year	Reimbursement Availed (Rs. in crore)
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
Total	3964.94

5. Loan Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2015-16) :-

(Rs. in crore)

Sr. No.	Year/Tranche	Loan Sanction Target	Achievements	% age
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	400.00 (HPC Approved) 560.00 (NABARD)	412.90	103.22
6.	2011-12 (XVII)	400.00 (HPC Approved) 540.00 (NABARD)	423.69	105.92
7.	2012-13 (XVIII)	400.00 (HPC Approved) 500.00 (NABARD)	432.16	108.04
8.	2013-14 (XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47

6. The Planning Department is the Nodal Department for processing the projects to NABARD for sanction and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

7. Details of RIDF review meetings held during the year 2015-16:

Sr. No.	Name of the Meeting	Date and Place of meeting	Under the Chairmanship
1.	2.	3.	4.
1.	44 th HPC meeting on RIDF.	16 th June, 2015 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
2.	MLAs meetings	4 th and 5 th February, 2016 (Shimla)	Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.

In addition to above mentioned meetings, bi-monthly review meetings were held in the regional office, NABARD Shimla. The representatives of implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. The scheme wise physical and financial progress of each department was reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required. Review meetings are also held at District level by the Deputy Commissioners.

X. 20-POINT PROGRAMME-2006 DIVISION:

The Twenty Point Programme-2006(TPP-2006) is being implemented in the State as per the guidelines issued by Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, from time to time.

The Twenty Point Programme is a monitoring mechanism which covers various socio-economic aspects like poverty eradication, employment, education, housing, health, agriculture, land reforms, irrigation, drinking water, protection and empowerment of weaker sections, consumer protection, environment, e-governance, etc.

The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI) monitors the Programmes / schemes covered under TPP-2006 at National level on the basis of performance report received from State Government and Central Nodal Ministries.

The restructured TPP-2006 consists of 20 points and 65 monitorable items which varies from State to State and from year to year. The performance of the States in the implementation of Twenty Point Programme-2006 was being ranked by the Government of India till 2009-10 and the ranking has been stopped thereafter.

Each monitorable item is categorized in the category of “Very Good”, “Good” and “Poor” on the basis of quarterly/half yearly/yearly performance as follows:-

Sr. No.	Percentage achievement	Category
1.	2.	3.
1.	90% or more	Very Good
2.	80% to 90%	Good
3.	Below 80%	Poor

Planning Department, Himachal Pradesh has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of quarterly / half yearly / annual progress reports of Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) since 2007.

Himachal Pradesh has had an excellent track record in the implementation of Twenty Point Programme. The year-wise position of the State during the last five years in respect of implementation of TPP-2006 at National level was as follows:-

Sr. No.	Year	Position / Grade of HP at National Level
1.	2.	3.
1.	2010-11	Placed at the Top in the “ Very Good Category ”
2.	2011-12	Placed at the Top in the “ Very Good Category ”
3.	2012-13	“ Very Good ” in all items except Road Construction (PMGSY) which was ranked “ Good ” (80% to 90%).
4.	2013-14	Placed at the top in Very Good Category
5.	2014-15	Very Good In all items except Houses Constructed – IAY and Houses Constructed – EWS/LIG

In order to inculcate the spirit of competition among the districts for the effective implementation of TPP-2006, the State Government is ranking the performance of each district. Based on the ranking, an award of Rs. 50.00 lakh, Rs. 30.00 lakh and Rs. 20.00 lakh respectively for first, second and third ranked district(s) is being given as an incentive. The incentive money is used for the various developmental works of the concerned district(s).

Based on the performance during 2014-15, seven districts, viz; Mandi, Sirmour, Una, Solan, Bilaspur, Kinnaur, Lahaul & Spiti, and have jointly shared 1st

rank in inter district ranking analysis of TPP. The award money of Rs. 1.00 crore has been distributed among these districts :-

Sr.No.	Name of the district	Amount (Rs. In lakh)
1.	Mandi	14.28
2.	Sirmour	14.28
3.	Una	14.28
4.	Solan	14.29
5.	Bilaspur	14.29
6.	Kinnaur	14.29
7.	Lahaul & Spiti	14.29
	Total	100.00

The State Government gives top priority for the effective implementation and achievement of TPP targets. The performance of TPP is regularly monitored at State, District and below district levels.

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committees headed by the Chief Minister/Minister/MLA of all the districts review the progress of TPP in their quarterly review meetings. Deputy Commissioners / Additional Deputy Commissioners / Additional District Magistrates / District Planning Officers also review and monitor independently the progress of TPP with the concerned district level officers of the districts in the various meetings.

At the State level, the progress of TPP was reviewed in the various meetings held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Chief Secretary, Addl. Chief Secretary (Planning) and Adviser (Planning), HP.

All correspondence/works related to TPP and constitution of State, District and Sub-Divisional level Planning, Department and Twenty Point Programme Review Committees were discharged by the TPP Division during the year 2015-16.

The item-wise detail of targets and achievements upto the 4th quarter ending 31 March, 2016 for the year 2015-16 are as follows:-

Twenty Point Programme 2015-16
Achievements under TPP for the year 2015-16 upto the 4th quarter ending
31 March, 2016

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2015-16	Cum. ach. upto March, 2016	% age Ach. Based on March, 2016 Targets	Rating/ Category
1	2	3	4	5	6	7
01A	Employment generation under the NREG Act					
01A01	No. of job cards issued	No.	NT	1165199	-	-
01A02	Employment generated	Mandays	NT	17650000	-	-
01A03	Wages given in cash	Rupees	NT	2839831000	-	-
01B	National Rural Livelihood Mission (NRLM)					
01B01*	Number of new and revived SHGs brought under NRLM fold during the financial year	No.	300	2937	979	V.Good
01B02	Number of SHGs provided Revolving Fund (RF) during the financial year	No.	300	1592	530.67	V.Good
01E02*	Number of SHGs provided Community Investment Fund (CIF) during the financial year	No.	150	164	109.33	V.Good
05A	Food Security-Targeted Public Distribution System (TPDS)					
05A02	Food Security: Targeted Public Distribution System (APL+BPL+AAY) (Other than NFSA+NFSA)	Tonnes	NT	517929	-	-
05B02	Food Security: Below Poverty Line (BPL)	Tonnes	NT	NA		
Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2015-16	Cum. ach. upto March, 2016	%age Ach. Based on March, 2016 Targets	Rating/ Category
05D02	Food Security: Antyodaya Anna Yojana (AAY)	Tonnes	NT	NA	-	-
05E02	Food Grains under NFSA - Normal	Tonnes	NT	188383		
05F02	Food Grains under NFSA – Tide Over	Tonnes	NT	NA	-	-
	Other than NFSA	Tonnes	NT	329546	-	-
06A	Rural Housing –Indira Awaas Yojana					
06A01*	Houses constructed-IAAY	No.	2635	2972	112.79	V.Good
06B	EWS/LIG Houses in Urban Areas					
06B01*	Houses constructed	No.	610	547	89.67	V.Good
07A03*	Habitations covered (Partially covered & Slipped back)	No.	1115 (Revised)	1536	137.76	V.Good
07B	Sanitation Programme in Rural Areas					

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2015-16	Cum. ach. upto March, 2016	% age Ach. Based on March, 2016 Targets	Rating/ Category
1	2	3	4	5	6	7
08E	Institutional Delivery					
08E01	Delivery in institutions	No.	NT	78628	-	-
10A	SC Families Assisted					
10A02*	(i)SC Families Assisted under SCA to SCSP and NSFDC	No.	9104	34716	271.48	V.Good
12A	Universalization of ICDS Scheme					
12A01*	ICDS Blocks Operational (Cumulative)	No.	78	78	100.00	V.Good
12B	Functional Anganwadis					
12B01*	Anganwadis Functional (Cumulative)	No.	18925	18925	100.00	V.Good
14A	No. of Urban poor families assisted under Seven Point Charter.					
14A01*	Poor Families Assisted	No.		NR	-	
15A	Afforestation (Public and Forest Lands)					
15A01*	Area Covered under Plantation	Hectares	18000	11449	63.61	Poor
15A02*	Seedlings planted	No. in lakh	11700000	12167712	104.00	V.Good
17A	Rural Roads –PMGSY					
17A01*	Length of Road Constructed	Kilometer	300	654	218	V.Good
18B	Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)					
18B01*	Villages electrified	No.	1	-	-	-
18D	Energising pump sets					
18D01*	Pumps sets energized	No.	1014	1758	173.37	V.Good
18E02	Supply of Electricity					
18C02	Electricity supplied	Million units	NT	8983	-	-

*** Items for Ranking Purpose.**

NT= Non Targeted

NR= Not Reported

TNR=Target Not Received

XI. RAILWAY DIVISION:

Planning Department is functioning as administrative department for railway works being executed in the State. Railway Division is carrying out all jobs related to Railway activities such as land acquisition, co-ordination, monitoring and review of rail projects, etc. During the year 2015-16, review and co-ordination meetings with various Northern Railway authorities, RVNL, Government of India, concerned department of State Government, etc. were held to sort out issues related to implementation of Railway Projects in Himachal Pradesh. Follow up actions of these meetings were taken during the year.

The various issues of following Rail lines were taken up with the concerned authorities during the year 2015-16.

1. Bhanupali-Bilaspur-Beri Broad Gauge (BG) Rail Line (63.1Kms)

Ministry of Railways had transferred the execution of the hilly portion of Bhanupalli-Bilaspur-Beri new BG line to RVNL who is conducting the preliminary field investigation for the construction of this rail line. The State Government has agreed the sharing pattern as per the CCEA decision. As per this decision State Government will share 25% cost of the project. 25% cost will be shared by Ministry of Railways and 50% by Ministry of Finance, GoI. The cost of this project has been revised from Rs. 1046 crore to Rs. 2967 crore. RVNL has been requested to first get completed the land acquisition process of the area falling in Punjab State (about 6 kms.) and simultaneously land acquisition process will be started for the areas falling in Himachal Pradesh in phases.

2. Chandigarh-Baddi Rail Line (33.23Km).

State Government has decided to bear 50% of the project cost in respect of this rail line. An estimate of Rs. 1672.29 crore has been sent to NR, HQ, New Delhi for approval by Northern Railway Chandigarh. Various review meetings were held with the Railways and other related authorities during the year. The process of negotiation with land owners for out-right purchase of land has been started in order to timely make available land for this project.

3. Nangal Talwara Broad Gauge Rail Line (83.74 Kms).

Total length of this rail line is 83.74 Km. 62 Km track falls in Himachal Pradesh, out of which 44 km has been opened for traffic upto Amb-Andaura. Completion cost of this project is around Rs. 1,200 crore. Construction to Amb Andaura-Chintpurni-Daulatpur Chowk (18km.) is in full swing. Amb-Andaura-Chintpurni (9km.) was targeted by Northern Railway for completion by 31-03-2016. This project will provide alternate route to J&K on its completion. PMO has accorded priority for this project and is monitored through PRAGATI.

4. (i) Conversion of Pathankot-Joginder Nagar Narrow Gauge Rail Line into Broad Gauge and its further extension upto Leh-Ladakh via Mandi – Manali. (ii) Construction of Ghanauli –Baddi-Kala Amb-Paonta Sahib-Dehradun BG Rail line:- The State Government has taken up the issues of both these rail lines with the Ministry of Railways, GoI from time to time.

The State Government has been requesting GoI time and again to improve and expand the network of rail lines in the State and also to make sufficient Budget provision for the above mentioned rail lines in the Annual Railway Budget .

To avoid delays in land acquisition the State Government has constituted Committees for negotiation with land owners for outright purchase of land for the different railway projects in the state. This step of the State Government will facilitate timely availability of land for the construction of railway projects in the

state. Moreover, it will help to avoid litigation, delays in land acquisition and time and cost over run. All assignments related to railway issues were done by the division during the year 2015-16.

XII. EVALUATION DIVISION :-

Evaluation Division of Planning Department is entrusted with the evaluation work of different plan schemes and projects. The objective of the evaluation is to make assessment of the implementation process, identify bottlenecks and gaps in implementation of the schemes and programmes and based on these findings, suggest remedial measures to make implementation process more effective. A Technical Advisory Committee has been constituted at State level to consider evaluation proposals of different implementing agencies.

During the year 2014-15 one evaluation study namely “Evaluation study on Technical Institution situated in Himachal Pradesh” was entrusted to the Evaluation division. The preliminary report on the basis of data received from Technical Education Department has been prepared and given to Himachal Pradesh Skill Development Corporation.

XIII. MLA PRIORITY DIVISION:

The following tasks were performed by the MLA Division during the financial year 2015-16:-

The MLA Division convenes the meeting of MLAs regarding their priority proposals and inclusion of the same in the Annual Budget.

- a. The minutes of MLAs meetings held during 2015-16 were issued to all the departments / organizations for taking suitable follow-up actions. The action taken report of these meetings was obtained from the concerned departments. The ATR was consolidated and circulated to all the concerned MLAs for their information.
- b. The Hon’ble MLAs meetings under the Chairmanship of Hon’ble Chief Minister, HP were convened to determine the priorities for the Annual Budget 2016-17. These meetings were convened on 4th and 5th February, 2016. The minutes of these meetings were issued to all concerned for taking suitable follow-up action under intimation to the State Government.
- c. As per the approved policy of the State Government, Hon’ble MLAs prioritize two schemes each under three sectors i.e. **Roads & Bridges, Minor Irrigation and Rural Drinking Water Supply** for “**Really New Schemes (RNS)**” and “**Ongoing Schemes**”. Therefore, six schemes under RNS and six under Ongoing Schemes are prioritized by each MLA for every financial year. However, Hon’ble

MLAs are at liberty to change inter sectoral priorities within the above mentioned three sectors i.e. he may give six priorities in one or two or three sectors. Accordingly, the MLAs priorities were collected, consolidated and finally printed as “नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2016-17”. It is one of the State Annual Budget Documents 2016-17.

- d. The works related to MLAs priority is of a vibrant/dynamic nature. Through-out the year the proposals for substitution of schemes were received from the various Hon'ble MLAs. The actions on the substitution proposals were taken as per the approved policy of the State Government. The implementing departments were asked to take the follow-up action accordingly. The concerned MLAs were also informed about the decisions taken in each substitution case.

XIV. COMPUTERISATION DIVISION:

Computerisation Division has been constituted for fulfilling the computer needs of Planning Department. All the reports / publications published by the Planning Department are processed on computer and later-on get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software development for the department and has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department :-

1. Modifications/Updation of GN Software for Annual Plan 2015-16.
2. Modifications/Updation of RIDF Software.
3. Modifications/Updation of MLA Priority Schemes Software.
4. Development of State Innovation Council Software.
5. Document of Draft Annual Plan 2015-16.
6. Modification/Updation on Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
7. MLA Priority Schemes Data Entry.
8. Backward Area Sub-Plan, District/SOE-wise allocation of budget outlays.
9. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.
10. Modification/Updation of Income Tax Statements Software.
11. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year 2015-2016.
12. Fact Book on Manpower Publications.
13. Power Point Presentation on various meetings in the department.
14. Twenty Point Programme Quarterly Document.

15. Development of Department Web site and site maintenance/ updation.
16. Assistance to all Divisions of Department about hardware and software application.
17. Results Framework Document Monitoring.
18. e-service book of all employee of department
19. eVitrans – Himkosh working
20. MIS ACA/SPA on Central Assistance (Niti Ayog).
21. MPLADs Software Monitoring.
22. Decentralized MIS Software Monitoring.
23. E-Vidhan work / Monitoring
24. Development of application for State Finance Commission.

3.3. DISTRICT OFFICES :

District Planning Cells have been created in all the ten Non-Tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers. They are functioning as Drawing & Disbursing Officers at district level. The following staff has been provided in District Planning Cells :-

1. District Planning Officer.
2. Credit Planning Officer.
3. Assistant Research Officer.
4. Statistical Assistant.
5. Sr. Assistant (three posts each in District Shimla, Mandi and Kangra).
6. Steno-Typist.
7. Clerk.
8. Peon.

All the decentralized planning programmes such as VMJS, SDP, VKVNY, MMGPY, MPLADs, BASP, etc are being implemented at district level through the concerned District Planning Cell. The collection of data for evaluation studies carried out by the department are also collected through District Planning Cells at district level. District Planning Cells have been assigned the job of monitoring and reviewing of ongoing Plan Schemes, 20-Point Programme and all decentralized programmes mentioned above through District Planning, Development and Twenty

Point Programme Review Committees on quarterly basis. District Planning Officers function as Public Information Officer of Planning Department at district level. District Planning Cells have proved extremely useful at district level in fulfilling the objective of decentralization of planning process of the State Government. All assignments of the department required to be undertaken at district level are performed through District Planning Cells.

4. INFORMATION UNDER RTI ACT-2005:

Information related to the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

(i)	Particulars of organization, functions and duties.	Please see heading : 1. BACKGROUND AND INTRODUCTION and 3. ORGANISATIONAL STRUCTURE” of the report
(ii)	Powers and duties of its Officers and Employees.	<p><u>Adviser (Planning):</u> Overall administrative and financial control of the Department. He helps Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. Adviser (Planning) works under the overall control of Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.</p> <p><u>Joint Director (Planning):</u> He has been declared as Head of Office of Planning Department. He assisted Adviser (Planning) in discharging various responsibilities and accomplished tasks related to formulation, implementation and liaisoining with the Planning Commission, Government of India assigned to him from time to time.</p> <p><u>Deputy Directors:</u> The Deputy Directors headed various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, Project Formulation, Evaluation, Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.</p> <p><u>Research Officers:</u> The Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers.</p> <p><u>District Planning Officers:</u> The staff provided to the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading “3.3. DISTRICT OFFICES”.</p> <p><u>Assistant Research Officers:</u> Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.</p>

	<p><u>Statistical Assistants:</u> Deal with the various works / proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level.</p> <p><u>Computer:</u> They perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers.</p> <p><u>Programmer :</u> The Programmer is the in-charge of the Computer Cell. He develops software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.</p> <p><u>Program Planning Officers (PPOs) :</u> They help in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.</p> <p><u>Computer Operators :</u> They assist the Programmer/PPOs in software development, data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department.</p> <p><u>Superintendent Gr.-I:</u> All the files of Administration Division are put-up to Superintendent Gr-I through Superintendent Gr-II with the administrative proposals for taking decisions at higher level</p> <p><u>Superintendent Gr.-II:</u> All the Senior / Junior Assistants and clerks of Administration Division submit the files through Superintendent Gr.-II. He puts up the files to Superintendent Gr.-I/ DDO / Joint Director (Administration) for final decision at appropriate level.</p> <p><u>Senior Assistants / Junior Assistants:</u> Deal with administrative, personnel, budget, organizational, etc matters and also works assigned by Superintendent / DDO / Higher Officers.</p> <p><u>Clerks :</u> Perform duties and functions as assigned to them by HOD/Superintendent Gr-I/DDO/Spud. Gr.-II including the work of diary dispatch of the Department.</p> <p><u>Personal Assistant / Sr. Scale Stenographer / Jr. Scale Stenographers:</u> Perform duties with Head of Department, Joint Directors / Deputy Directors, such as dictation / typing work / attend to the telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.</p>
--	--

		<p><u>Steno Typists:</u> Perform duties of dictation and typing work with the officers. Ten posts of Steno-Typists are sanctioned in the ten Non-Tribal Districts and they performed their duties with the District Planning Officers in the Districts.</p> <p><u>Duplicating Machine Operator:</u> To operate the Photostate machines of the Department.</p> <p><u>Peons:</u> They perform the duties as per office manual.</p> <p><u>Chowkidar :</u> Keeps watch and ward during and after office hours of all the office rooms of the department. He is also responsible for all precautionary measures relating to prevention of fire and damage to Government property.</p> <p><u>Sweeper:</u> To sweep, clean and mop the rooms, corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.</p>
(iii)	Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability.	<p>Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department.</p> <p>The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director/ Divisional Heads for final decision/ disposal. Divisional Heads are responsible and accountable for supervision and timely disposal of work in respect of their division. (s)</p>
(iv)	Norms set by it for the discharge of its functions.	Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time.
(v)	Rules, Regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.	<p>The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:-</p> <p>CCS Leave Rules, 1972.</p> <p>CCS and CCA Rules</p> <p>HPFR Rules</p> <p>FR & SR Rules</p> <p>Medical Attendance Rules</p> <p>House Building Advance Rules</p> <p>L.T.C. Rules</p>

		<p>Budget Manual Office Manual Pension Rules GPF Rules</p> <p>Guidelines for implementation of the following programmes:-</p> <p>Sectoral Decentralized Planning (SDP) Vikas Mein Jan Sahyog Program (VMJS) Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Youna (VKVNY) Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY) Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADs) Backward Area Sub Plan (BASP) Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) Externally Aided Projects (EAPs) District Innovative Fund (DIF)</p> <p>Guidelines/instructions issued by the Government from time to time are uploaded on the website of Planning Department can be used by officers and officials for discharging their functions and duties. The Administrative report containing the programmes alongwith organizational structure detail is uploaded on the website of Planning Department.</p>
(vi)	Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.	Five year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Twenty Point Programme Quarterly District Ranking Analysis Reports and Annual Administrative Report.
(vii)	The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.	The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees at Sub Divisional level. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion / suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan

		priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation.
(viii)	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	<p>The following Boards / Committees have been constituted in the department:-</p> <p>Himachal Pradesh State Planning Board.</p> <p>State Level Planning, Development & Twenty Point Program Review Committee.</p> <p>District Level Planning Development & Twenty Point Program Review Committees (DPDCs) in all Districts.</p> <p>Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review & Public Grievance Committees.</p> <p>Meetings of these committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.</p>
(ix)	A directory of its officers and employees;	Detail given under heading “2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT” .
(x)	The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time. Pay Band & Grade Pay of the posts are given under heading “2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT” .
(xi)	The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of the each divisions.

(xii)	The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	There is no subsidy programme being executed directly by the department.
(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,	Not applicable. Only Plan budget authorizations to incur an expenditure are granted by the Planning Department to all the implementing departments (concerned with Plan) and Deputy Commissioners.
(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website http://hp_planning.nic.in .
(xv)	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.	The Public can have information from the district offices of Planning Department or its Headquarters i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on public holidays.
(xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	Information is given below.
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.	Nil

Particulars of the APIOs, PIOs and Appellate Authority in Planning Department, HP.

Sl. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority	Designation	Address with Telephone No.	Jurisdiction/Unit under his control for which he will render information to applicants
1.	2.	3.	4.	5.
(A) SECRETARIAT LEVEL				
1.	Sh. Rikhi Ram, Public Information Officer.	Under Secretary (Plg.) to the Govt. H.P	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.2628504	Planning Department at Secretariat level.
2.	Dr. Shri Kant Baldi Appellate Authority	Addl. Chief Secretary (Planning) to the Govt. H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2. Tel. No. 2620043	Planning Department at Secretariat level.
Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 27-06-2009 under section 5 and 19 of "Right to Information, Act 2005" (Act No. 22 of 2005).				
(B) STATE LEVEL				
1.	Sh. H.K. Singh, Public Information Officer.	Research Officer (Administration)	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2629471	Planning Department at State level.
2.	Sh. Diwan Chand, Assistant Public Information Officer	Supdt. Grd-I	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2880840	Planning Department at State level.
3.	Sh. Akshay Sood Appellate Authority	Adviser (Planning)	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2621698	Planning Department at State level.
Notification No. PLG.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 and dated 16-04-2010 under section 5 and 19 of "Right to Information, Act 2005".				

Sr. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority	Designation	Address with Telephone No.	Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants
1.	2.	3.	4.	5.
(C) DISTRICT LEVEL				
1.	Sh Tara Chand Chauhan, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Shimla Telephone No. 0177-2808399	Concerned District.
2.	Sh. Pardeep Purta, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Solan Telephone No. 01792- 220697	Concerned District.
3.	Sh. Anuj Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Siamrur at Nahan Telephone No. 01702-223008	Concerned District.
4.	Sh. Gautam Chand Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Chamba. Telephone No. 01975-226057	Concerned District.
5.	Sh. Ravinder Katoch , Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316	Concerned District.
6.	Sh. Kuldeep Singh Minhas Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Mandi Telephone No. 01905-225212	Concerned District.
7.	Sh. Vinod Kumar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Una Telephone No. 01899-226166	Concerned District.
8.	Smt. Mukta Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Bilaspur Telephone No. 01978-222668	Concerned District.
9.	Sh. Tej Singh Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kullu Telephone No. 01902-222873	Concerned District.
10	Sh. Rajiv Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Hamirpur Telephone No. 01972-222702	Concerned District.
Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of "Right to Information, Act 2005".				